ستمبر-اکتوبر ۲۰۰۷ء

ماہنامہ شعاع عمل لکھنؤ

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ
وَلَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ

اتحاد
اسلامی نمبر

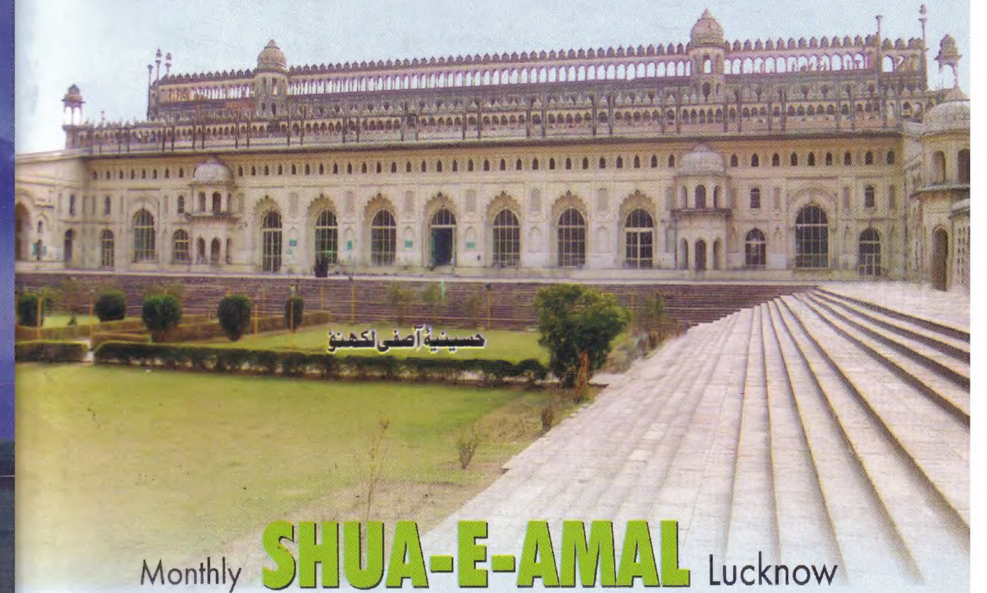

مؤسسہ نور ہدایت حسینیہ غفران مآب لکھنؤ-۳

Sep.- Oct. 2007

R.N.I. No. UPBIL/2004/13526 Postal Regd. No. SSP/LW/NP-75/2005-07

मासिक
शुआ-ए-अमल
लखनऊ

मुस्लिम एकता नम्बर



Monthly **SHUA-E-AMAL** Lucknow



NOOR-E-HIDAYAT FOUNDATION
Imambara Ghufran Ma'ab, Chowk,Lucknow-3

वर्ष–4

R.N.I. No. UPBIL/2004/13526
Postal Regd No-SSP/LW/NP-75/2005-07

अंक 3–4

माह सितम्बर – अक्टूबर 2007 लखनऊ

नूर–ए–हिदायत फ़ाउण्डेशन की

हिन्दी, उर्दू मासिक पत्रिका

इत्तेहादे इस्लामी नम्बर

शुआ-ए-अमल

''लखनऊ''

इत्तेहादे इस्लामी नम्बर

संरक्षक

मौलाना सै. कल्बे जवाद नक़वी साहिब

सम्पादक

सै. मुस्तफ़ा हुसैन नक़वी 'असीफ़' जायसी

वार्षिक – 200 रु

मिलने का पता

क़ीमत – 40 रु

नूर–ए–हिदायत फ़ाउण्डेशन

इमामबाड़ा हज़रत गुफ़रानमआब मौलाना कल्बे हुसैन रोड

चौक लखनऊ – 3 (उ.प्र.) भारत फोन न0 0522–2252230

website: www.noorehidayat.com

e-mail: noorehidayat@noorehidayat.com

सै. कल्बे जवाद नक़वी प्रिन्टर, पब्लिशर और प्रोपराइटर ने मासिक शुआ–ए–अमल (उर्दू, हिन्दी) निज़ामी आफ़सेट प्रेस विक्टोरिया स्ट्रीट लखनऊ से छपवाकर आफ़िस नूर–ए–हिदायत फ़ाउण्डेशन इमामबाड़ा गुफ़रानमआब मौलाना कल्बे हुसैन रोड लखनऊ–3 से प्रकाशित किया। सम्पादक : सै0 मुस्तफा हुसैन नक़वी 'असीफ जाएसी'।

फ़ेहरिस्ते मज़ामीन

न0	मज़मून लेखक	पेज न0
1–	इत्तेहाद और इस्लामी भाईचारगी	
	इमादुल उलमा अल्लामा सै0 मुहम्मद रज़ी साहिब मुजतहिद़	3
2–	मुसलमानों के बीच एकता	
	आयतुल्लाहिल उज़्मा सै0 अली ख़ामेना–ई मद्दज़िल्लहुश्शरीफ	6
3–	एक सबक़ इस्लाम से	
	मौलाना सै0 कल्बे सादिक़ साहिब क़िब्ला	12
4–	कुछ एकता के बारे में	
	मु0 र0 आबिद	15
5–	लखनऊ में जुलूसों को लेकर शीआ–सुन्नी समझौता	
	इदारा	17
6–	मुख्य समाचार	
	इदारा	33

अक़वाले मासूमीन (अ०)

1– **हम अहलेबैत की इताअत को मिल्लत में नज़्मो ज़ब्त के लिए और हमारी इमामत को इख़्तेलाफ व तफरक़े से महफ़ूज़ रखने के लिए क़रार दिया गया है।**

2– **तुम में जब कोई शख़्स अपने भाई से मुलाक़ात करे तो उसकी पेशानी के नूर की जगह को चूमे।**

3– **अपने भाईयों से अल्लाह के लिए भाईचारा रखो।**

इत्तेहाद और इस्लामी भाइचारगी

इमादुल उलमा अल्लामा सै0 मुहम्मद रज़ी साहिब क़िब्ला मुजतहिद

किसी समाज की ज़िन्दगी, तरक़्क़ी और हर क़िस्म की फलाह व बहबूद सिर्फ इसी बात पर मौक़ूफ है कि इसके अफराद पूरे इत्तेहाद व इत्तेफाक़ के साथ ज़िन्दगी बसर करें। इसका मतलब यह हुआ कि जमाअत और क़ौम का बाहमी इत्तेफाक़ व इत्तेहाद ही हक़ीक़त में उसकी ज़िन्दगी है और उसका इन्तेशार और अफ़रातफ़री उसकी मौत है। पैग़म्बरे इस्लाम स॰ की बेअ्सत के वक़्त अरबों में जो फसाद और आपस की नाइत्तेफाक़ियाँ झगड़े और ला क़ानूनियत फैली हुई थी वह कौन नहीं जानता। उनके बहुत ही मामूली झगड़े बड़ी–बड़ी लड़ाइयों की शक्ल इख़्तियार करके सारे मुल्क के लिए एक आफत और अज़ाब बन जाते थे और बकरियों, भेड़ों, ऊँटों और ज़मीन या छोटे–छोटे इज़्देवाजी मसाएल में ज़रा–ज़रा से इख़्तेलाफात क़ौम की पूरी ज़िन्दगी को जहन्नम बना दिया करते थे। ज़ाती इक़तेदार, लालच, फिरक़ावाराना ज़हनियत, तरह–तरह के तास्सुब, गुरूर और तकब्बुर, ग़रज़ उन तमाम अख़लाक़ी बुराइयों ने उनके लिए इत्तेहाद और बाहमी तनज़ीम का कोई तसव्वुर बाक़ी न रखा था। ज़ाहिर है कि ऐसी हालत में जब आपस का इत्तेहाद न हो, तनज़ीम बाक़ी न रहे तो कोई जमाअत और कोई समाज कभी ज़िन्दगी और उसकी बुलन्दियों का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, जब हर आदमी को हर तरफ से ख़तरे घेरे हुए हों और उसे हर लम्हा और हर वक़्त बेचैनी, घबराहट और ख़ौफ का सामना हो तो फिर वह किस तरह ज़िन्दगी की बलन्द क़द्रों को हासिल करने में कामियाब हो सकता है। वह शाख़ जो हवा के झक्कड़ों और तूफान के थपेड़ों से काँप रही हो उस पर आशियाना नहीं बनाया जा सकता। बस यही हालत इन्सानी ज़िन्दगी की भी है। जब तक बाहमी इत्तेहाद और तनज़ीम न हो, एक फ़र्द के दिल में अपने दूसरे क़ौमी भाई के दुख दर्द का एहसास न हो, ज़ाती फाएदे को जमाअती और क़ौमी फ़ायदों पर कुर्बान करने का जज़्बा न पाया जाता हो उस वक़्त तक इन्सान ज़िन्दगी की सारी बलन्दियों और कामियाबियों से महरूम रहेगा।

सरवरे काएनात (स॰) की बेअ्सत का ज़माना वह था जब दुनिया ला क़ानूनियत और बदनज़मी की आग में जल रही थी और हर तरफ अफ़रातफ़री और इन्तेशार का दौर दौरा था। आपने ख़ानदानी रिश्तों और दूसरे

तमाम रिश्तों से ज़्यादा मज़बूत और ऊँचा रिश्ता लोगों को बताया जिसने उस वक़्त की मग़रूर और सरकश अरब क़ौम की सिरे से सोच ही बदल दी। यह रिश्ता दीन का था, यह रिश्ता हक़ और दयानत का था, यह रिश्ता सच्चाई और ख़ुदा परस्ती का था और यह इस्लाम और ईमान का रिश्ता था जिससे वह लोग जो नसली और ख़ानदानी तफरीक़ और इम्तियाज़ का शिकार बनकर आपस में एक दूसरे के ख़ून के प्यासे हो चुके थे, बाहम मिल बैठे और सारे झगड़े भूल कर आपस में भाई—भाई बन गए। यह इस्लाम ही था जिसने ख़ानदानी और क़बाएली झगड़ों को मिटाकर सबको दीन, भाइचारगी और मुहब्बत के रिश्ते में जकड़ दिया था। यह इस्लामी बिरादरी ही का रिश्ता वह था जिसमें दुनिया व आख़िरत की तमाम भलाइयाँ और हर तरह की फ़लाह और कामियाबी, तरक़्क़ी और नजात के राज़ छुपे हुए थे। इस दीनी रिश्ते ने सारे मुसलमानों के दिलों में आपस की मुहब्बत, मेल—जोल, इत्तेहाद व इत्तेफाक़, जमाअती बरतरी और क़ौमी व मिल्ली तनज़ीम की एक नई रूह फूँक दी उनकी आपस की दुश्मनियों को मिटा दिया और जो लोग मक्का से हिजरत करके मदीने में बस गए थे उनमें और मदीने के मक़ामी मुसलमानों के दरमियान दीनी और मज़हबी रिश्ते की बरकत से ऐसी मुहब्बत और एकता पैदा हो गई कि वह अपने ख़ानदानी, नसली और ख़ून के रिश्तों को भी इस नये रिश्तें पर कुर्बान करने लगे। आपस की पुरानी दुश्मनियाँ हमेशा के लिए फना हो गईं और जो लोग एक दूसरे को बदतरीन दुश्मन और क़ातिल की निगाह से देखा करते थे वह सगे भाइयों की तरह एक दूसरे पर फिदा होने लगे। अल्लाह के मुक़द्दस रसूल स॰ ने लोगों को उसका यह पैग़ाम सुनाया थाः

अनुवाद— ''ऐ ईमान वालो! ख़ुदा से डरो इस तरह जैसा कि उससे डरने का हक़ है और तुम्हें मौत न आए मगर ऐसी हालत में कि तुम सच्चे मुसलमान हो और (देखो) तुम सब के सब मिलकर इलाही रिश्ते को मज़बूत थाम लो और आपस में टुकड़े—टुकड़े न हो जाओ और तुम अपने ऊपर अल्लाह के एहसान को याद करो कि तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे (और एक दूसरे के ख़ून के प्यासे थे, यह अल्लाह की ज़ात है) जिसने तुम्हारे दिलों को आपस में जोड़ दिया फिर तो तुम सब (आपस में) भाई—भाई बन गए।''

इस्लामी तालीम और इस्लामी तहज़ीब की बुनियाद जिस क़ानूने ख़ुदावन्दी पर है उसका सबसे बड़ा तक़ाज़ा यह है कि उस नेमते इत्तेहाद से फायदा उठाया जाए जिसकी तरफ हमको तवज्जो दिलाई गई है और इस्लाम ने जिसका हमें हुक्म अता किया है क्योंकि

यही ऐसा अकेला रिश्ता है जिसमें हमारी ज़ाती और इन्फेरादी, क़ौमी और इज्तेमाओ, दीनी और दुनियावी हर तरह की फलाह मौजूद है और यही हमारी सरबुलन्दी और इज़्ज़त व अज़मत है। इसके बरख़िलाफ अफरा–तफरी और बदनज़मी और इन्तेशार हमारी मौत है अगर हम लड़ाई–झगड़े का शिकार हो गए, अगर हमारी सफों में अबतरी और ला क़ानूनियत फैल गई तो हमें इसका यक़ीन रखना चाहिए कि हम अपनी अन्दुरूनी और बाहरी आज़ादी की नेमत से महरूम हो जाएँगे और इस्लाम और मुसलमानों के पुराने दुश्मन जो हमें तबाह व बर्बाद करने की हर वक़्त ताक में रहा करते हैं वह अपनी तरकीबों में और अपनी साज़िशों में कामियाब हो जाएँगे। कुर्आने करीम ने हमको बार–बार तम्बीह की है और बार–बार हमें इस ख़तरे से आगाह कर दिया है। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िन्दगी के लिए तबाही को दावत न दें और अपने इस्लामी इत्तेहाद को किसी ना समझी का शिकार न होने दें। सूरए अनफाल में अल्लाह का इरशाद है:

अनुवाद– ''अल्लाह और उसके रसूल स॰ की इताअत करो, और आपस में झगड़े न करो (यानी भरपूर इत्तेफाक़ व इत्तेहाद क़ानून और क़ायदे के साथ ज़िन्दगी बसर करो) क्योंकि अगर तुम आपस में मुत्तहिद न रहोगे तो हिम्मत हार जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी।''

सरवरे काएनात (स॰) का इरशादे पाक है कि सारे मुसलमान आपस में एक दूसरे के साथ मुहब्बत करने में एक जिस्म और एक बदन की हैसियत रखते हैं यानी अगर बदन के एक हिस्से को कोई तकलीफ पहुँचती है तो पूरा बदन इस तकलीफ का एहसास करने लगता है बस इसी तरह इस्लामी समाज भी एक जिस्म है और सारे मुसलमान इसके हिस्से और सच्चा मुसलमान वही है जिसके दिल में अपने दूसरे भाई के दुख दर्द का पूरा एहसास हो और उसके दुख को दूर करने और उसको आराम देने की उसी तरह कोशिश करे जैसे वह ख़ुद अपने दुख को दूर करने और अपने आप को आराम देने की कोशिश करता है। फिर आपने एक दूसरे मौक़े पर अपने एक हाथ की उँगलियों को दूसरे हाथ की उँगलियों में डाल कर दिखाया और इरशाद फरमाया कि देखो एक हाथ की उँगलियाँ जब दूसरे हाथ की उँगलियों के साथ मिल गईं तो उनमें कैसी कुव्वत पैदा हो गई जो इस इत्तेहाद के पहले कभी हरगिज़ न थी बस इसी तरह तुम्हें आपस में एक दूसरे के साथ इत्तेहाद व इत्तेफाक़ से ज़िन्दगी बसर करना चाहिए ताकि तुम्हारी इन्फेरादी और इज्तेमाई ज़िन्दगी और तुम्हारी क़ौमी और मिल्ली सरबुलन्दी इस्तेहकाम, सालिमियत और इज़्ज़त व वक़ार तुम्हारे दुश्मनों के क़ब्ज़े के बाहर हो जाए। ☐☐☐

मुसलमानों के बीच एकता: समय की बड़ी ज़रूरत

आयतुल्लाहिल उज़्मा सैय्यद अली ख़ामेना–ई मद्‌दज़िल्लहूश्शरीफ
अनुवादक – मु0 र0 आबिद

आज मुसलमान और मानव होने से हम हज़रत मुहम्मद स॰ के आश्रित हैं और केवल हम ही नहीं, पूरी मानवता को उनकी आवश्यकता है, क्योंकि परम पूज्य नबी स॰ सब संसारों के लिए दया (रहमतुन लिल आलमीन) है न कि मुसलमानों के लिए दया। सच्चाई तो यह है कि पूरा मानवत–जगत हज़रत मुहम्मद स॰ की दयाओं, कृपाओं और प्रदानताओं के साये में जीवन बिता रहा है। 'रसूलता' (ईश–दूतत्व) के रूप में जो भी सन्देश आपने मानवता को दिया जिसका सार कुर्आन पाक के रूप में है, आज हमारे हाथों में है और हम इससे लाभ पा सकते हैं।

हज़रत का आह्वाहन और आपका रास्ता

हज़रत ने मानवता के लिए मोक्ष का रास्ता खोला, इसे सुधार का मार्ग दिखाया और मानव जगत को एक ऐसे रास्ते पर पैर बढ़ाने और चलने को उत्साह दिया जिस पर पांव बढ़ाने से मानवता की सभी कठिनाइयों और संकटों का समाधान हो सकता है। मानवता–जगत के बहुत से ऐसे गहरे घाव और रोग और बहुत सी ऐसी पीड़ाएँ हैं जो किसी एक समय से जुड़ी नहीं हैं। मानवता को न्याय की ज़रूरत है, उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता है और वह ऊँचे मानव आचरण का अभिलाषी है। निचोड़ यह है कि मानवबुद्धि को परमेश्वर की ओर से भेजे जाने वाले नबियों की मदद की आवश्यकता है। यह वह रास्ता है जिसे हज़रत स॰ ने उसको पूरे विस्तार और संमार्ग की पूरी पात्रता के साथ खोला है। जो चीज़ इसका कारण बनी है और आगे भी इसका कारण बनेगी कि मनुष्य परमेश्वर के इस सन्मार्ग और सहायता से लाभ न उठाए, वह हम मनुष्यों से ही जुड़ी है, वह हमारी अज्ञानता से जुड़ी है। इसमें हमारी कमी, सुस्ती और आलस का बड़ा रोल है और इसमें हमारी लालसा और मनोकामनाओं को बहुत लेना देना है। मनुष्य अगर आँख खोले, बुद्धि से काम ले, अपने साहस को ऊँचा करे, पैर बढ़ाये और चले तो यह रास्ता खुला है। इस तरह मानवता की सभी गहरे घावों, पुराने रोगों और कठिनाइयों का इलाज हो सकता है। अल्लाह के इस बुलावे के टक्कर में शैतानी बुलावा है जिसने अपनी सेना, मित्रों और चेलों को नबियों से टकराने के लिए हर काल में इकट्ठा किया है। यही वजह है कि मनुष्य दुविधा में पड़ा है कि किस रास्ते को अपनाये।

इस्लामी जागरुकता की एक नई तरंग

एक लम्बी बेपरवाही की नींद और कई सदियों तक इस्लामी शिक्षाओं के साफ़ पारदर्शी झरने से दूर रहने के बाद आज पूरा मुस्लिम समुदाय इस्लाम की शरीयत और धर्मविधान को नई तरह और नए कोण से देख रहा है। आज पूरी मानवता, इस्लाम जगत और मुस्लिम समुदाय

ने इस्लामी आदेशों और शिक्षाओं की ओर अपनी आँखें खोल ली हैं, इसलिए कि मनुष्य की अपनी गढ़ी कल्पनाओं और दर्शनों का जर्जरपन और कमज़ोरी खुलकर सामने आ गयी है। आज दुनिया इस्लाम, इस्लामी शिक्षाओं से जुड़ कर अपने विकास और प्रगति में मानवता जगत में सबसे आगे हो सकती है। आज दुनिया मुस्लिम समुदाय के बढ़ते हुए क़दमों को देख रही है, मनुष्य ने अपने ज्ञान विकास के कारण आचरण, आध्यात्मिकता और धर्म की आत्मा को भुला दिया है। मानवता की ज्ञान–विज्ञान में प्रगति और विश्व की सच्चाइयों पर मनुष्य की नई दृष्टि मुस्लिम समुदाय की गति के लिए सबसे अच्छी ज़मीन बराबर कर सकती है। इस्लामी शिक्षाएँ और ज्ञान आज मुस्लिम समुदाय की पहुँच में हैं। इसी तरह नबी स॰ की सीरत (सदावृत्ति/चरित्र) नबी के कथन और सबसे बढ़कर कुर्आन पाक इस्लाम जगत के पास हैं जिससे इस्लामी दुनिया आगे बढ़ सकती है।

विश्व की घटनाओं को देखते हुए मैं यहाँ आपकी सेवा में दो तीन मूलबिन्दु निवेदन करूँगाः

1– पहली सच्चाईः इस्लाम–जगत की जागरुकता

पहला बिन्दु इस्लाम–जगत की जागरुकता है। आज से सौ साल पहले इस्लाम–जगत के सुधारक लोग इस्लाम–जगत के पूरब पच्छिम के विभिन्न देशों में ग़रीबी की हवाओं और वातावरण में जो बाते करते थे वे आज आम लोगों की ज़बानों पर चलन के रूप में आ चुकी है। यानि 'इस्लाम की ओर वापसी, कुर्आन की पुनर्जीवन, 'एक समुदाय' की धारणा और इस्लाम–जगत का सम्मान, सकत और सत्ता। यह सभी चीज़े मुस्लिम समाजों के सुधारक अपने–अपने सीमित स्तरों पर ख़ास–ख़ास लोगों के बीच एक दूर वाले लक्ष्य के रूप से बताते थे, आज वही लक्ष्य सबकी ज़बानों पर हैं और मुसलमानों के बीच जीते जागते चलन के रूप में तरंगे मार रहे हैं। आज एक–एक मुस्लिम देश पर आँख डालिए ख़ासकर युवक, पढ़े लिखे लोग और खुले विचार वालों के बीच यह 'चलन' ज़िन्दा हैं। यह बात इस ओर इशारा करती है कि इस्लामी पहचान अभी तक दिलों में ज़िन्दा है। इस्लामी गणतन्त्र ईरान में इस्लाम की सफलता और वरीयता इस क्रम में एक बहुत बड़ी मिसाल है। ईरान की जनता ने अपने बलिदान और बलिहारी, दृढ़ता और इस्लामी मर्यादा के झण्डे अपने हाथों लेने से सभी मुस्लिम–जातियों में एक नया प्राण फूँक दिया है और उन्हें उनके भविष्य की आशा दिलायी है। आप इस आशा के परिणामों को दुनिया के कोने–कोने में देख सकते हैं। यह झुटलाई न जाने वाली सच्चाई है।

2– दूसरी सच्चाईः विश्व की दादागीरी (धौंस) की इस्लाम से खुल्लम खुल्ला दुश्मनी

एक और न झुठलाई जाने वाली सच्चाई यह है कि इस्लाम जगत से विश्व शक्तियों की दादागीरी की दुश्मनी पहले से ज़्यादा गम्भीर, और तेज़ हो गई है और सारी दिशाओं पर छा गई है। संस्कृति (Culture) के रूप से राजनैतिक प्रोपेगण्डे, राजनैतिक कारवाईयों से, वित्तीय (Economical) और आर्थिक (Financial) प्रकार से भी। इसलिए मुस्लिम समुदाय की जागरुकता विश्वशक्ति और घमण्डवाद दादागीरी के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन गई है। घमण्डवादी शक्तियाँ यानी जिन्होंने दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से को अपनी सत्ता के पन्जे में दबोचे हुए हैं, अन्तर्राष्ट्रीय ज्योनवादी (Zionism) के जाल, अमरीका की

धौंस, धमकी की राजनीति और उनकी वित्तीय संस्थाएँ और कम्पनियाँ जो विश्व स्तर पर वर्चस्व ज़माने वाले इस जाल के समर्थक और पक्षधर है, इस्लाम जगत में दिन पर दिन बढ़ने वाली जागरुकता से डरी सहमी है और अपने डर को ज़बान से स्वीकार भी करती है।

आज विभिन्न मोर्चों से इस्लाम पर जो हमले किये जा रहे हैं, उनके ऊपर एक क़ायदे की गणित है और पहले से तैयार की हुई संगठित योजना से जुड़े है। यह कोई संयोग की बात नहीं है कि अमेरीका की विदेशमन्त्री इस्लाम विरूद्ध जो बात करती हैं उसी बात को ईसाई धर्म का सबसे बड़ा पादरी (पोप) अपनी ज़बान से दुहराता है। हम यहाँ व्यक्तियों को चर्चा का विषय बनाना नहीं चाहते बल्कि उन मसलों पर विश्लेषण (Analysis) और हल प्रस्तुत कर रहें। यह चीज़ें कभी भी हल्की तो नहीं हो सकती। प्रकाशनों में इस्लाम के रसूल स॰ की मान मर्यादा के प्रति दुस्साह और अपमान, 'कठोर धर्म' का इस्लाम पर आरोप लगाना, मुसलमान समुदायों जातियों पर आरोप गढ़ना और दूसरी ओर Cross का समर्थन करने वाले राजनैतिक लोगों का खुल्लम खुल्ला मुसलमानों के विरोध ज़हर उगलना और अपनी दुश्मनी को खुलकर बताना, इनमें कोई एक भी संयोग या हल्केपन की बात नहीं है। आज दुश्मन एकजुट हो मोर्चा बनाकर मुस्लिम समुदाय के विरूद्ध अपनी दुश्मनी के तीर लगातार चला रहा है और ईरान में इस्लामी क्रान्ति के बाद इस दुश्मनी और हमलों में बहुत तेज़ी आ गई है।

3– तीसरी सच्चाई: दादागिरी, दबी और जागरुक मुसलमान छाया हुआ

यह तीसरी सच्चाई भी बहुत महत्व की और ध्यान देने वाली है। वह यह कि इस आमने–सामने की लड़ाई में बाहरी और भौतिक (Materialistic) तथ्यों के विपरीत छायी हुई सामर्थ वाली शक्तियाँ जो सैन्य और आर्थिक शक्ति से मालामाल है, मुस्लिम समुदाय और इस्लाम–जगत की जागरुकता और गतिशीलन की आगे झुक गई है। यह बात बहुत ध्यान देने वाली है कि मध्यपूर्व (Middle East) ख़ासकर फिलस्तीन (Palestine) का मसला और इस क्षेत्र के दूसरे मसले जैसे इराक़ और लेबनान (Lebnon) के मसले अमरीका की दादागीरी शक्ति अपने सारे के सारे भौतिक संसाधनों के साथ मैदान में आये और हार जाये, यह एक जीती हुई सच्चाई है।

यह कौन मान सकता है

फ़िलस्तीन में भी दादागीरी वाली शक्तियों ने मुँह की खाई। यह कौन समझ सकता है कि एक 'जिहादी संगठन' जो यहूदी राज्य से लड़ रहा है और उसके विरोध और दुश्मनी का नारा लगाता है, फिलस्तीन में सत्ता में आ जाएगा। यह कौन विश्वास कर सकता है कि विश्व की महान सेना शक्ति का लेबनान पर किया जाने वाला हमला 'एक छोटे से ईमान वाले समूह' के हाथों सिर्फ 33 दिन में बहुत बड़ी अपमान वाली हार देखेगा। कौन इस बात पर विश्वास कर सकता है कि अमरीका इराक़ में अपनी सारी मेहनत और जतन और वहाँ पर अपनी बड़ी सेना–शक्ति के होते हुए वहाँ अपने उद्देशों को पा नही सकेगा। किसने अटकल लगाई थी कि अमरीका मध्यपूर्व के अरब जगत पर क़ब्ज़े और क्षेत्र के राज्यों और देशों का सामना करने के लिए इराक़ पर क़ब्ज़ा जमा न सकेगा? लेकिन यह सब होकर रहा। इस लड़ाई में मुँह की उसने खायी जो देखने में अपनी सेना–शक्ति, देखने की सत्ता, डालर और पोढ़ी

अर्थ–व्यवस्था (Economy) और राजनीति के बल से मालामाल है और यह अपने में खुद एक सच्चाई है।

इस्लामी पहचान पर दादागीरी हमलों में इस्लामी पहचान ही भारी रही है। इन सभी सच्चाइयों को सामने रखना चाहिए। यह जो कहते हैं कि सच्चाईयों को समझने और वास्तविक्ता को देखिए तो सच्चाई और वास्तविकता यही है जिसे अपने समाधानों में देखना चाहिए और फैसलों के समय जिन पर ध्यान देना चाहिए। यह झुटलाई न जाने वाली सच्चाइयाँ हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। इस्लाम–जगत अगर चाहता है कि अपनी सफलता के लिए एक जीता हुआ आन्दोलन चलाए तो उसे बहुत सी चीज़ों को अनिवार्य रूप में मान लेना होगा जिनमें पहली अनिवार्य बात 'मुसलमानों के बीच एकता और मेल' है।

मुसलमानों को आपस में लड़ाना दादागीरी की एक चाल है

भाईयों को आपस में लड़ाना दादागीरी की पहली चाल है जो पुराने काल से काम में लायी जाती रही है। 'फूट डालो और राज करो' (Divide and Rule) भी उसकी एक पुरानी राजनीति है। हम सब ने कहा है और हम सब जानते हैं लेकिन फिर भी दुख है कि ऐसे अवसर आते हैं कि दुश्मन हम पर इसी चाल से हमला करता है और वह भी सिर्फ मन की चाहतों के पीछे रहना, ग़लत विश्लेषण, समाधानों, छोटी सोच, निजी हित को सामूहिक हित के ऊपर रखने या अल्पकालीन लाभ के लिए लम्बे काल के लाभों की बलि, देने से। आज आप ज़रा देखें कि दादागीरी की एक राजनीति कि फिलस्तीनियों को फिलस्तीनियों से लड़ाना, उनके बीच गृहयुद्ध पैदा करना और उनमें फूट डालना, शिया मुसलमानों को सुन्नी मुसलमानों से लड़ाना और अरबी व अजमी (अ–अरबी) को एक दूसरे से भिड़ाना, इसलिए पहले चरण का इलाज करना चाहिए। हम अपनी जगह मुसलमानों के बीच एकता को मुस्लिम समुदाय की एक मूल ज़रूरत समझते हैं और हमने इस साल को राष्ट्रीय एकजुटता और मुसलमानों के बीच एकता (National Integeration and Unity among Muslims) का साल घोषित किया है। मुसलमानों के बीच एकता पूरे इस्लामी जगत के लिए बहुत ज़रूरी है। सबको एकता से काम लेना चाहिए और एक दूसरे की मदद करना चाहिए, राज्यों को भी और जनता को भी।

इस्लामी राज्य उस व्यापक स्तर पर मुसलमानों के बीच एकता के लिए मुस्लिम समूहों और जातियों की सक्षमता और योग्यता से अच्छा फायदा उठा सकते हैं।

मुसलमानों के बीच एकता के रास्ते की रुकावटें

बहुत सी चीज़े इस एकता में रुकावट और अड़चन हैं। इनमें सबसे ऊपर टेढ़ी समझ और सच्चाइयों से जानकारी न होना है। हम एक दूसरे के हाल और दशाओं से अनजान हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ आशंका में पड़े हैं और एक दूसरे के विचारों और विश्वास के बारे में ग़लत चीज़ों को समझ बैठे हैं। शिया सुन्नी के बारे में और सुन्नी शिया के बारे में भ्रम का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह एक मुसलमान जाति दूसरी मुसलमान जाति के बारे में और एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के बारे में बुरे विचार का शिकार है और दुश्मन इस बुरे विचार को लगातार फैला रहा है। बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत से लोग इसी दुर्विचार, ग़लत विश्लेषण और दुश्मन की पूरी योजना को न देखने की वजह से उसके इस खेल का हिस्सा बन जाते हैं और दुश्मन ऐसे

ही लोगों से अच्छी तरह फ़ायदा उठाता है। कभी एक छोटा सा प्रेरक वजह बनता है कि मनुष्य कोई बात कहे, कोई रवैया अपनाये या कोई ऐसा काम कर डाले कि दुश्मन अपनी चाल में उससे लाभ उठाता है और भाइयों के बीच दूरी ज़्यादा कर देता है।

मुसलमानों के बीच एकता के लिए एक विश्व चार्टर की ज़रूरत

इस कठिनाई का ज़रूरी और असली इलाज 'मुसलमानों के बीच एकता' है। उलमा, धर्मगुरुओं और इस्लाम के खुले विचार वालों को सर जोड़ कर बैठना चाहिए कि वे 'मुसलमानों के बीच एकता' का एक चार्टर तैयार कर सकें जिससे टेढ़ी समझ वाले और द्वेष तासुब वाले लोग और इधर उधर से जुड़ा कोई व्यक्ति या कोई सम्प्रदाय बे रोक–टोक मुसलमानों की एक बड़ी संख्या या सम्प्रदाय के लिए इस्लाम से बाहर होने का फ़तवा न दे सके और उनके बारे में कफिर होने का फतवा निकाल न सके।

'मुसलमानों के बीच एकता' के चार्टर का बनाया जाना उन्हीं बातों से जुड़ा है जिनकी माँग इतिहास आज उलमा, धर्मगुरुओं और इस्लाम के खुले विचार वालों से कर रहा है। अगर आप ने यह काम पूरा न किया तो आने वाली पीढ़ियाँ ज़रूर आपकी ख़बर लेंगी। आप इस्लामी पहचान को ख़त्म करने और मुस्लिम समुदाय में अलगाव डालने के लिए दुश्मन की चालों को देख रहे हैं। आइये, मिल बैठिये, इसका इलाज कीजिये और जड़ों (मूल) को टहनियों पर वरियता दीजिये। उलमा, धर्मगुरुओं और इस्लाम के खुले विचार वालों की ज़िम्मेवारी छोटी मोटी बातों में सम्भव है क्योंकि एक ही धर्म के लोग एक विचार के मानने वाले न हों, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसके होते हुए बहुत सी बातें मिली हुई, साझे की (Common) है। इसीलिए उन्हें चाहिए कि इन्हीं को अपनी एकता का केन्द्र बनायें। इस्लाम के उलमा को चाहिए कि वे दुश्मन की चालों से सावधान रहे। हर धर्म (सम्प्रदाय) के ख़ास–ख़ास लोग बैठें और ज्ञान के माहौल में धर्म की चर्चा करें, विचार विमर्श करें, लेकिन आम जनता को इस विचार विमर्श में न मिलाये, दिलों को एक दूसरे के लिए मैला न करें (द्वेष न करें) और विभिन्न इस्लामी सम्प्रदायों, मुस्लिम जातियों और एक ही जाति के इस्लामी गुटों और जत्थों को एक दूसरे का दुश्मन न बनायें।

दादागीरी इस्लाम की दुश्मन है

जो चीज़ दादागीरी के लिए महत्व का कारण है वह इस्लाम है। दुश्मन चाहता है कि इस्लाम को मिटा दें और हमें इस बात को समझना चाहिए। वह लोग जो शिया और सुन्नी में किसी तरह का भेद नहीं रखते, हर वह जाति, हर वह गुट, हर वह जत्था और हर व्यक्ति जो इस्लाम से ज़्यादा लगाव रखता है, दुश्मन उसी से ज़्यादा ख़तरा समझता है और ठीक ही डरता है। सच्चाई तो यही है कि इस्लाम दादागीरी छाने और उसके वर्चस्व पा लेने के लक्ष्यों और उद्देश्यों के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। इस्लाम दूसरी जातियों के लिए कोई ख़तरा नहीं है, जबकि दुश्मन इसके उलटा प्रोपेगण्डा कर रहा है।

इस्लाम के विरूद्ध दुश्मन का प्रोपेगण्डा

दुश्मन कला, प्रोपेगण्डा, राजनीति, मीडिया और संचार–साधनों के द्वारा लगातार प्रोपेगण्डा कर रहा है कि इस्लाम दूसरी जातियों का दुश्मन है और वह धर्मों और मतों को मिटा देना चाहता है, जबकि ऐसा बिलकुल नहीं है। इस्लाम वही धर्म है जब दूसरी जातियों पर शासक हुआ तो उस धर्म वालों ने इस्लाम की कृपा का धन्यवाद दिया और कहा आप हम पर हमारे पिछले शासकों से ज़्यादा नर्म हैं। 'मशामात' के इसी क्षेत्र में जब इस्लामी विजेताओं ने पैर रखा, तो इस क्षेत्र के

यहूदियों और ईसाइयों ने कहा कि आप मुसलमान हम पर बहुत मेहरबान हैं। इस्लाम दया–करूणा का धर्म है और सारे संसारों के लिए दया और बरकत (समृद्धि/मंगल) है। इस्लाम ईसाई मत से कहता है: ***"तआलौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम"*** यानी अपने और उनके बीच बराबरी को ठहराता है। इस्लाम दूसरी अमुस्लिम जातियों और धर्मों का विरोधी नहीं बल्कि अत्याचार, अन्याय, दादागीरी और उसके अधिपत्य और नियन्त्रण का विरोधी है जबकि अत्याचारी और दादगीरी वाली शक्तियाँ इस सच्चाई को उलटा बनाकर दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रही हैं। ''हालीवुड के फिल्मी जगत'' से लेकर मीडिया और प्रोपेगण्डे के साथ शस्त्र और सैन्य शक्ति की सभी सम्भावनाओं और सन्साधनों से दुश्मन फायदा उठाते हुए इस सच्चाई के उलटा प्रोपेगण्डा (दुष्प्रचार) कर रहा है। दादागीरी के आँखों में शिया और सुन्नी सब बराबर हैं, उसे अपना निशाना बनाते हैं चाहे वह ख़तरा शिया से हो या सुन्नी से। दादागीरी फिलस्तीन में 'हमास' को उसी दृष्टि और कोण से देखती है जैसे वह लेबनान में 'हिज़्बुल्लाह'' को देखती है और उस के विरूद्ध काम करती है। वह सुन्नी है और यह शिया हैं (लेकिन दोनों दुश्मन की निशाने पर)। धार्मिक और इस्लाम के कर्मबद्ध मुसलमान दुनिया के जिस हिस्से में हों, दादागीरी की दृष्टि में बराबर हैं, चाहे वे सुन्नी हों या शिया। क्या हमारा एक दूसरे को गुट की या साम्प्रदायिक दृष्टि से देखना एक बुद्धिवाला काम है? क्या हम आपस में भिड़ जायें? एक दूसरे की शिकायत करें और अपने संयुक्त (Common) दुश्मन को भूल जायें जो हमें ख़त्म करना चाहता है? क्या इस तरह अपनी शक्तियों को गंवाना ठीक है?

अल्लाह के वादे पर सच्चे विश्वास के साथ मैदान में आ जायें

इस्लाम जगत को चाहिए कि वह अपना खोया हुआ सम्मान, ऊँचाई, दृढ़ता और स्वाधिकार और ज्ञान–प्रगति को पाने और आध्यात्मिक शक्ति को लेने के लिए जतन करे यानी धर्म से लगाव करे, अल्लाह पर भरोसा करे और उसकी मदद पर विश्वास के लिए प्रयास करे।

यह उसका वादा अपने बन्दों के लिए अन्तिम और निश्चित है और पूरा होकर रहेगा। यह ख़ुदा का सच्चा वादा है कि ***"वल यन्सुरन्नल्लाहु मन यन्सुरुहू"*** (जो भी अल्लाह की मदद करेगा तो वह उसकी अवश्य और निश्चय ही मदद करेगा) इसलिए इस्लाम जगत को चाहिए कि इस वादे पर पूरा विश्वास रखते हुए मैदान आ जाए। यह काम केवल हथ्यार को हाथ में उठाना नहीं है बल्कि वैचारिक, बौद्धिक और कार्यात्मक हैं, और यह एक सामूहिक और राजनैतिक काम है कि सब अल्लाह के लिए और 'मुसलमानों के बीच एकता' के लिए क़दम बढ़ायें। इस काम से मुस्लिम जातियाँ भी फायदा उठायेंगी और इस्लामी राज्य भी। अगर इस्लामी राज, मुस्लिम समुदाय के अथाह सागर में मिल जायें तो उनकी कसबल में बढ़ौत्तरी हो जायेगी न कि अमेरिका के राजदूत या अमुक अमेरिका के राजनीतिज्ञ पर भरोसा करने से ये सभी चीज़े उन्हें प्रकृति नहीं दे सकती। लेकिन अगर यही इस्लामी राज मुस्लिम समुदाय के साथ मिल जायें और एक दूसरे के पास आ जायें तो ऐसे अवसर पर दादागीरी के लिए अवसर नहीं आने देंगे कि वह एक इस्लामी राज को अपना निशाना बनाते हुए उसे निरस्त करके एक दूसरे इस्लामी राज की ढूँढ में निकल पड़े। इस समस्या की ओर सबको ध्यान देना चाहिए और इस्लामी राजों को एकजुट होना चाहिए और यह बात अच्छी तरह जान लें कि वे एकजुट हो सकते हैं। □□□

एक सबक़ इस्लाम से

सफ़वतुल उलमा मौलाना सैय्यद क़ल्बे आबिद साहिब क़िब्ला ताबा सराह

पिछले शुमारे से आगे

निश्चय ही वह्य का केन्द्र बनने के लिये मनुष्य के मन में ऐसी पवित्रता और श्रेष्ठता होना ज़रूरी है कि वह ईश्वरीय सम्बोधन का अधिकारी हो सके। परन्तु पैग़म्बर की अपनी ही क्षमता काफ़ी नही है। ईश्वर की ओर से भी सम्पर्क स्थापित किया जना आवश्यक है। ऐसा नही है कि जिसमें वह्य हासिल करने की क्षमता हो, वह चाहे यह सम्पर्क साघ के जो चाहे जान लें। मात्र बात समझाने के लिए यह उदाहरण दिया जा रहा है। वह्य से उपमा देने का कदापि उद्देश्य नहीं है। मतलब बस इतना है कि बात स्पष्ट हो जाये। रेडियो स्टेशन से कितनी भी वाणियाँ प्रसारित हो, हम नहीं सुन सकते जब तक कि हमारे पास उन लहरों को आकर्षित करने का यन्त्र न हो। लेकिन क्या उस यंत्र का, जो लहरों को सुनने योग्य बना सके, हमें उपलब्ध होना ही पर्याप्त है! जी नहीं, प्रसारण केन्द्र से लहरों का प्रसारित होना भी ज़रूरी है। नहीं तो आपका रेडियो चुप ही रहेगा।

पैग़म्बर के अलावा किसी और का यह समझना सम्भव नही कि 'वह्य' की कैफ़ियत क्या होती है। और यह कोई अचरज की बात भी नहीं। अगर किसी में श्रवण शक्ति मौजूद न हो तो क्या वह सुन सकता है! स्वर की लहरें कान के पर्दे से क्योंकर टकराती हैं और आवाज़ में किस तरह परिवर्तित हो जाती हैं! जिनकी आँखों में रौशनी न हो वह लाख समझाने से भी नहीं समझ सकते कि लाल, नीला और ज़र्द रंग कैसा होता है। इन में आपस में क्या फ़र्क़ (भेद) होता है। और आँख उनके बीच क्योंकर भेद महसूस करती है। जब अरबों इंसानों और असंख्य जानवरों को जो शक्तियाँ प्राप्त हैं उनसे अगर कोई महरूम (वंचित) हो तो वह कैफ़ियत (परिस्थिति) को महसूस नहीं कर सकता तो इस विशेष योग्यता अथवा सलाहियत को दूसरे लोग कैसे समझ सकते हैं जो कि ज़माने में एक या कुछ व्यक्तियों को प्राप्त हो। चूँकि यह (व्यक्ति) इतने बुलन्द किरदार (उच्च चरित्र वाले) होते हैं कि उनकी ओर ग़लत दावे, की निस्बत या संकेत भी नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो बातें वह बयान करते हैं उनकी सच्चाई विभिन्न तरीक़ों से सिद्ध होती है। अतएव दावे का इन्कार सम्भव नहीं।

निष्पाप्यता (इस्मत)

ईश्वर की ओर से चुने हुये रहनुमाओं (पथ प्रदर्शकों) के लिये, चाहे वह पैग़म्बर हों या हज़रत मुहम्मद (स0) के बाद उनके उत्तराधिकारी हों, उनका निष्पाप्य होना आवश्यक है। 'निष्पाप्यता' उस शक्ति का नाम है जिसकी बिना पर निष्पापी, गुनाहे कबीरा व सग़ीरा (बड़े–छोटे गुनाह) से सुरक्षित रहे। इसी के साथ अल्लाह की तरफ से लुत्फ़ (विशेष कृपा) भी आवश्यक है। जो सहव या निस्यान (भूल चूक) और नादानिस्ता (अनजानी) ग़लतियों से सुरक्षित रखे। निष्पाप्यता इसलिए आवश्यक है कि अल्लाह को भी भरोसा हो कि यह मेरी और किसी बात का ग़लत संकेत नहीं देंगे और बन्दों को भी यक़ीन हो कि जो कुछ

पहुँचाया उसमें ज़रा सी भी कमी बेशी नहीं है बिलकुल वही है जो अल्लाह ने भेजा है। चूँकि पैग़म्बर मात्र संदेशवाहक की हैसियत नहीं रखते बल्कि उनका चरित्र और आचरण, आदर्श भी होता है। जैसा कि क़ुर्आन मजीद में हमारे पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (स0) के लिये कहा गया है कि, ''हे रसूल! कह दीजिये अगर तुम लोग अल्लाह को दोस्त रखते हो तो मेरी पैरवी करो। अल्लाह तुम्हें दोस्त रखेगा और तुम्हारे पिछले गनाुह मुआफ़ कर देगा।'' दसूरी आयत में इरशाद है, ''तुम्हारे लिये श्रेष्ठतम आचरण पैग़म्बर (स0) का है। यह उसके लिये है जो अल्लाह और क़यामत के दिन से आशा लगाये हो और ईश्वर–सुमिरन अधिकता से करता हो।''

अल्लाह उसके अमल को नमूना नहीं बना सकता जो ठोकरें खाता हो और ग़लतियाँ करता हो।

क़ुर्आने मजीद में है कि–

''वह कहते क्यों हो जो करते नहीं''

तो वह कैसे पसन्द करेगा कि उसके नुमाइन्दे दूसरों को तो अच्छाई की दावत या बुलावा दें और स्वयं अपनी कही बातों पर कार्यरत न हों। क़ुर्आने मजीद में हज़रत मुहम्मद (स0) के बारे में हुक्म दिया गया है कि

''रसूल जो हुक्म या आज्ञा दें उसको बजा लाओ और जिस बात से रोकें उससे रुके रहो यानी बाज़ रहो''

दूसरी आयत में इरशाद हुआ है कि–

''जिसने भी रसूल की इताअत की या आज्ञा का पालन किया उसने अल्लाह की इताअत या आज्ञा का पालन कर लिया।''

इस प्रकार उमूमी इताअत (सामान्य आज्ञा पालन) का आदेश उसी के लिये दिया जा सकता है जिस से ग़लती की सम्भावना न हो। दोनों जगह हज़रत पैग़म्बर (स0) का नाम लेकन आज्ञा पालन का आदेश नहीं दिया गया बल्कि रसूल यानी ओहदे (पदनाम) से (आज्ञा पालन) मुतअल्लिक़ किया गया। जिसका अर्थ यह है कि रिसालत का पद (पैग़म्बरी), इताअत की बुनियाद है! एक आयत में जनाब इब्राहीम (अ0) को सम्बोधित करके इरशाद हुआ है, ''मेरा पद किसी ज़ुल्म करने वाले को नहीं मिल सकता'' इसमें ईश्वर द्वारा नियत सभी पद शामिल हैं, चाहे वह नुबुवत हो, चाहे रिसालत हो या इमामत हो। इसी तरह ज़ुल्म में सामान्य रूप से प्रत्येक ज़ुल्म और बेजा बात शामिल है। चाहे वह ग़ैर पर हो या अपने नफ़्स पर। गुनाह (पाप) कम से कम अपने नफ़्स पर ज़ुल्म अवश्य होता है। क्योंकि हर मअ़सियत या गुनाह से प्रतिष्ठा में कमी आती है। तो आयत से नतीजा निकलता है कि अल्लाह की ओर से नियत किया हुआ कोई ओहदेदार (पदाधिकारी) किसी क़िस्म की भी ग़लती नहीं कर सकता।

देखने में यह बात समझ में नहीं आती कि कोई व्यक्ति पूरी उम्र हर प्रकार के गुनाह से क्योंकर सुरक्षित रह सकता है। लेकिन जब हम इस पर ध्यान दें कि मासूम (निष्पाप्य) वे व्यक्ति होते हैं जिनकी नज़र में अल्लाह की महानता और उसका प्रताप पूरी तरह दृष्टिगत होता है। वह इस महानतम हस्ती की, अपने हालातपर हर समय निगाह होने का विश्वास भी रखते हैं। उनको इसका भी पूरा ज्ञान होता है कि पाप के, नफ़्स पर क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं। और नफ़्स में कैसी गिरावट आ जाती है। तो क्या किसी बादशाह का निकटवर्ती जिसके दिल पर बादशाह की अज़मत (महत्ता) का सिक्का जमा हुआ हो, उसके सामने उस की अवज्ञा का साहस कर सकता है!

क्या ऐसा व्यक्ति जो ज़हर के प्रभाव से परिचित हो और आत्महत्या का इरादा न रखता हो, जान बूझकर ज़हर खा सकता है!

अगर यह दोनों बातें सम्भव नहीं तो ईश्वर के दरबार से निकटता रखने वाले व्यक्ति उसको हाज़िर या नाज़िर (उपस्थित अथवा देखने वाला) जानते हुए और पाप की गन्दगी से भलीभाँति अवगत होते हुए भी कैसे पाप कर सकते हैं।

उपरोक्त कथन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस्मत जब्री नहीं होती यानी निष्पाप्य होना ज़बरदस्ती लादा हुआ गुण नहीं होता कि यह ख़याल पैदा हो सके कि अल्लाह ने इन लोगों को मासूम बना दिया। अतएव इनके आचरण में इनकी अपनी इच्छा का कोई हाथ नहीं, जो ये प्रतिदान और पुण्य के अधिकारी हो सकें।

लेकिन हमारे बयान से यह बात ज्ञात हो जाती है कि ''मासूम'', चाहे वह पैग़म्बर हो या इमाम अपने संकल्प और इच्छा से अपने मन पर नियन्त्रण रखता है और ऐसा कुछ भी नहीं करता जो, अल्लाह की मर्ज़ी के विरूद्ध हो। ''मासूमीन'' वह लोग हैं जो इस ईश्वरीय कथन कि, ''तुम लोग कुछ चाहते नहीं मगर वह जो अल्लाह चाहता है'' को चरितार्थ करते हैं।

आख़री नबी (स0) (अन्तिम पैग़म्बर)

प्रत्येक प्रारम्भ का एक अन्त और प्रत्येक मुसाफ़िर की एक मंजिल होती है। मौन एवं जड़ द्रव्य ने यात्रा शुरु की, आकाश गंगा बनी, सितारों की पराकाष्ठा की मंज़िल वह धरती थी जो प्राणियों का केन्द्र बन सकी। जीवधारी और सांस लेने वाले प्राणियों की पूर्णता, मनुष्य के रूप में प्रकट हुई। मानवता की पराकाष्ठा और क्षमता सीमा पैग़म्बरी ठहरी पैग़म्बरी, पूर्णता की मंजिल की ओर बढ़ती रही यहाँ तक कि आखिरी पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद मुस्तफा (स0) की ज़ात में वह पूर्णता को प्राप्त हुई।

आप अल्लाह के अन्तिम संदेश और अन्तिम धर्मविधि के साथ 'पैग़म्बरी' के पद पर सुशोभित हुए। इसी धर्म विधि के लिये ईश्वरीय उद्घोष हुआ ''आज मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिये पूरा कर दिया और अपने वरदान की भी पूर्ति कर दी।''

(हे मानव जाति!) तुम्हारे लिये इस्लाम धर्म को पसन्द कर लिया अब इसमें कोई फेर–बदल, घटती–बढ़ती, पूरा होने और ईश्वर के राज़ी होने के विपरीत है।'' हज़रत पैग़म्बर (स0) के लिये कुर्आन ने स्पष्ट कर दिया कि, ''मुहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं परन्तु अल्लाह के पैग़म्बर और नबियों में सबसे अन्तिम हैं। आपकी ज़ात पर पैग़म्बरी की श्रृंखला पूरी हो गई।

यह तो सम्भव है कि हज़रत मुहम्मद (स0) से पहले ऐसे पैग़म्बर रहे हों जिनके नाम का उल्लेख कुर्आन मजीद या पुष्ट हदीसों में नही आया है क्योंकि कुर्आन का साफ़ एलान है कि, ''हमने प्रत्येक जाति के लिये पथ प्रदर्शक भेजे हैं।'' इसके अलावा यह भी कहा गया है कि ''ऐसे रसूल भी हैं जिनकी बातें तुम से बयान कर दीं और ऐसे रसूल भी हैं जिनकी चर्चा तुम से हमने कुर्आन के अन्दर कहीं नहीं की।'' लेकिन हज़रत पैग़म्बर मुहम्मद (स0) के बाद जो भी पैग़म्बरी का दावा करे वह झूठा है। आप के बाद किसी अन्य के नबी मानने वाले कुर्आन और निरन्तर हदीसों का, जिनसे पैग़म्बरी के क्रम का समाप्त हो जाना सिद्ध है, इन्कार कर रहे हैं। अतः वह इस्लाम से बाहर हैं।

(जारी)

कुछ एकता के बारे में

मु0 र0 आबिद

इस रंग बिरंगी दुनिया में जिधर आँख उठाकर देखें एक एकता (एका) ही हर ओर दिखायी देगा। यह चलती हुई हवाएँ हों, बहती हुई नदी का चंचल पानी हो, ठहरे हुए सागर का कुछ चुप्पी साधे पानी हो, धरती सूरज चाँद का रोज़ की आँख मिचौली हो, सबमें यही एकता दर्शन देती है। मानो यही एकता ही सृष्टि की आत्मा है। उस एक अकेले के बनाये हुए संसार में एका होना आचरज की बात क्या!! जैसे उसी ने सबको इसी एकता की आत्मा से बान्ध दिया है। यही उसकी माया है।

इस तरह एकता सबसे शुद्ध प्राकृतिक गुण है। यही एकता आन्त्रिक रूप में आकर सृष्टि का तन्त्र चलाती है और बाहरी आकार में आकर नागरिकता और सभ्यता का आधार बनता है और अनेकता में एकता (Unity in Diversity) का चमत्कार दिखाती है।

यह एकता हर जीवका के स्वभाव का प्रकृतिक झुकाव है। यह कोई समय की आवश्यकता नहीं, प्रकृति है। इस को जगाने या इसका महत्त्व जताने के लिए मीडिया (Media) का आभार लेने की क्या ज़रूरत? वहीं ''शुआए अमल'' को विशेषांक निकालने का क्या औचित्य? लेकिन बुरा हो राजनीति के झपान वाली छाया का जो सारे मानवजगत पर पड़ रही है। यह कोई आज की बात नहीं बल्कि उस समय की है जब सभ्यता ने घुटनियों चलना शुरु किया और राजनीति ने कुनमुनाना आरंभ किया। चुपके से देखिये तो यह खुली हुई सच्चाई है कि राजनीति के मदारी की अपनी कोई हैसियत ही नही होती:

कोई माने ही न, तो राजा की सत्ता क्या है
राज क्या चीज़ है, आदेश की माया क्या है

मान्यता भीक में पाये न तो राजा क्या है? और कोई किसी को अपने ही सर पर सवार क्यों करने लगा जब तक वह स्वयं किसी न किसी तरह कंगाल या दुर्बल न हो गया है (किया गया हो) और सबसे बढ़कर उसे यह कमी जता भी दी जाय। यह सारा खेल एकता को बिखरा कर ही हो सकता है, तभी राज हो सकता है। बाँटो और राज करो (Divide and Rule) की पुरानी घिसी पिटी चालू नीति और क्या है? एकता अपने में Discipline या स्वप्रशासन की ज़िम्मेवार है जो कभी निराज को सर उठाने, और (चौपट) राजा को बन्दरबाँट कर अपना उल्लू सीधा कर अन्धेर मचाने का अवसर ही न देगी। ऐसे में राजनीति का हव्वा बनाने की क्या पड़ी? एकता प्रकृति है। सच में या कल्पना में बने किसी दुश्मन का भी हव्वा खड़ा करना कोई सकारात्मक (Positive) ढंग नहीं। एकता प्रकृति में इतनी घुली मिली है कि एकता के दुश्मन भी एकता के ही नाम पर, एके के नारों के बल पर ही एकता का तोड़ करते हैं।

प्राकृतिक एकता को ही उभारने पालने पोसने की ज़रूरत है। अपनी कम समझ में, शुआए अमल के इत्तेहादे इस्लामी (इस्लामी एकता) के आशय में यही प्रकृतिक एकता है क्योंकि

इस्लाम प्रकृति का धर्म है। इस्लामी एकता = प्राकृतिक एकता (= का अर्थ बराबर) और

इस्लामी एकता ⇌ प्राकृतिक एकता

(इसका अर्थ है इस्लामी एकता प्राकृतिक एकता हो सकती है और प्राकृतिक एकता इस्लामी एकता हो सकती है।)

इस इस्लामी एकता के माने किसी एक जाति या समुदाय विशेष (चाहे वह मुस्लिम समुदाय ही क्यों न हो) के बीच एकता नहीं है। हाँ अगर एक समुदाय की एकता बड़ी प्राकृतिक एकता का ज़ीना बन रही है तो एक प्राकृतिक चरण के रूप में इसका स्वागत करने में जाता क्या है? बूँद–बूँद सागर होता है। घर में एक, घर–घर में एकता, महल्ले–महल्ले, गाँव–गाँव एकता, जत्थे–जत्थे, दल–दल, देश–देश एकता से ही व्यापक प्राकृतिक एकता बन बढ़ सकती है। इस एकता की इकाइयाँ घर का एका, दल का एका आदि हैं। इतना ध्यान रहे एक घर का एका, दूसरे घर से लड़ाई का बिगुल न बनने पाये, एक समूह, एक देश की एकता से दूसरे समूह या देश को भेदभाव का संदेश न जाने पाये। एक जगह का मेल–जोल किसी बड़े बिखराव की प्रस्तावना बनने न पाये। ऐसी प्राकृतिक एकता में किसी भी तरह किसी एक भी मनुष्य, घर, समुदाय, देश, समाज, आदि या और किसी बड़ी इकाई आदि को छोड़ा नहीं जा सकता। यहाँ तक इस प्राकृतिक एकता सृष्टि का कर्ण–कर्ण मिला होना चाहिए। इसका सीधा मतलब यह है कि इसमें सारे प्राकृतिक तन्त्रों का समावेश होना चाहिए। इसी एकता में किसी भी प्राकृतिक नियम को ठेस पहुँचने न देना चाहिए जैसे मानव एकता में पशु के अधिकार न छिनें, Ecosystem को चोट न लगे।

अन्त में एक बात कहना है। प्राकृतिक एकता को सच्चे अर्थों में मानकर सीधे कार्यात्मक प्रयास सकारात्मक रूप में शुरु कर देना चाहिए। इस सम्बन्ध में इस डर को न आने देना चाहिए कि बड़ी एकता के लिए 'अहं' की बलि देना होगी। एसा नहीं है पूरा ब्रह्माण्ड एक प्राकृतिक रिश्ते में पिरोया हुआ है। इसका एक–एक खण्ड अपने–अपने अपनेपन के साथ रहकर एक रहता है। अगर यह प्राकृतिक सम्बन्ध समझ में आ जाए तो एकता का बोलबाला न हो आश्चर्य!!

□□□

एक से एका

एक के नाम पे एका हो तो क्या अच्छा है!
मेल से दूजा भी अपना हो, तो क्या अच्छा है!
चैन का राज ही छाया हो, तो क्या अच्छा है!
बैर सब देस निकाला हो, तो क्या अच्छा है!
एक के सब हैं, सभी एक भी हो जाएँ कहीं!!

(मु0 र0 आबिद)

लखनऊ में जुलूसों को लेकर

शीआ सुन्नी समझौता

ऐसे महल पे दोस्तो! रख़्नागरी है ख़ुदकुशी
हम भी उसी जहाज़ में तुम भी उसी जहाज़ में (सफ़ी लखनऊ)

हैदरे कर्रार(अ.स.)के शियो!

1969, 1974, 1998, 1999 में शिया और सुन्नी फ़िरक़ों के बीच समझौते हुए हैं। हम समझते हैं आम जनता क्या ख़ास लोगों में भी बहुमत को इन समझौतों के प्रालेख (Text) की जानकारी नहीं है। यही कारण है कि ख़ुदग़र्ज़ मतलबी स्वार्थी लोग जन साधारण में ग़लतफहमियाँ फैलाते रहते हैं।

कुछ लोग मौलाना कल्बे जवाद साहिब पर इल्ज़ाम धरते हैं और दावा करते हैं कि हमारा इस जुलूस से कोई सम्बन्ध नहीं है और हमें मदहे सहाबा किसी रूप में बर्दाश्त नहीं। इसी तरह मिम्बरों से सीना ठोंक कर यह बात की जाती है कि हम तबर्राई हैं और खुले आम तबर्रा पढ़ना हमारा अधिकार है और मौलाना कल्बे जवाद सच्चे शिया नहीं हैं क्योंकि वह खुल्लम खुल्ला तबर्रा पढ़ने से रोकते हैं। लेकिन इन समझौतों के Text से इन तथाकथित लीडरों के झूठ का भांडा फूट जाता है क्योंकि 1969 और 1974 के समझौतों पर उनके हस्ताक्षर हैं जिनमें बड़े खुलेमन से सुन्नियों को मद्हे सहाबा पढ़ने की अनुमति दी गयी है और समझौता किया गया है कि शिया खुल्लम खुल्ला तबर्रा नहीं पढ़ेंगे।

आप स्वयं अवलोकन कर लें कि 1998 के समझौते में साफ़ रूप से सुन्नियों को जुलूस निकालने की अनुमति दी गयी है और उन्हें पूरा अधिकार दिया गया है कि वे अपने जुलूस का जो दिल चाहे नाम रखें, शियों को कोई आपत्ति नहीं होगी। 1999 के समझौते से है स्पष्ट रूप से है कि सुन्नियों ने अपने जुलूस का नाम 'मदहे सहाबा' रखा है। मौलाना मिर्ज़ा मुहम्मद अतहर साहिब क़िब्ला ने अमीरुल उलमा जनाब मौलाना सैयद हमीदुल हसन साहिब क़िबला को समर्थन का फैक्स भेजा जिसमें साफ़ तरह से लिखा, क्योंकि जुलूस का नाम सुन्नियों ने स्वयं रखा है और शियों और सरकार के नाम का कोई लगाव नहीं इसलिए समझौता मानने में कोई हरज नहीं। इस फैक्स की फोटोकापी भी समझौते के साथ संलग्न है।

बड़े बल से यह बात कही जाती है कि मौलाना कल्बे जवाद ने अपने बड़ों के तरीक़े को तज दिया है। इनके बुज़ुर्गों ने तबर्रा एजीटेशन में भाग लिया था और ये तबर्रा के विरोधी है इस सिलसिले में यह सच्चाई दृष्टि के सामने रखना बहुत ज़रूरी है कि सही

अर्थों में नेता वही है जो काल और परिस्थितियों को देखते हुए जाति समुदाय के हित में निर्णय करे। परिस्थियों के बदलने के साथ फ़ैसले बदलना पड़ते हैं। रसूल हज़रत मुहम्मद स0 जिन्होंने बद्र, उहद, ख़ैबर, ख़न्दक़ के युद्धों में कमाण्ड किया वही अली अ0 जिनकी तलवार युद्धों में मौत की प्रतीक समझी जाती थी, हुदैबिया सन्धि के अवसर पर उन्हीं हाथों में क़लम था और सन्धि–पत्र देखने में दबी हुई शर्तों (प्रतिबद्धताओं) से लिखा जा रहा था। तो क्या किसी में साहस है कि कह सके कि चरित्र बदल गये हैं। उसी तरह से मौला अली अ0 पच्चीस साल तक चुप रहे और तलवार की बेंट पर हाथ न गया, फिर दुनिया ने देखा कि वही अली अ0 जमल, नहरवान और सिफ़्फ़ीन में दुश्मनों के लिए ईश्वरीय प्रकोप का रूप बने हुए हैं। तो क्या कोई कह सकता है कि अली अ0 अपना चरित्र बदलते रहे। बल्कि सच्चाई यह है कि परिस्थितयों के अनुसार फैसले बदलते रहे।

इसी तरह मुजाहिदे मिल्लत (समुदाय संग्रामी) जनाब अशरफ हुसैन साहिब एडवोकेट वह व्यक्ति है जिन्हें मुजाहिदे मिल्लत की उपाधि तबर्रा एजीटेशन में मिली थी, 1969 के समझौते पर उनके हस्ताक्षर मौजूद हैं कि हम सार्वजनिक मार्ग पर तबर्रा नहीं पढ़ेंगे, क्या कोई उनके लिए कहेगा कि अपना चरित्र बदल दिया। उसी तरह से शेरे हिन्दुस्तान मौलाना सैयद मुज़फ्फर हुसैन ताहिर जरवली साहिब जो तबर्रा के प्रसिद्ध समर्थक हैं, उनके हस्ताक्षर भी 1969 और 1974 के समझौतों पर मौजूद हैं। मौलाना कल्बे जवाद पर एतिराज़ है कि बुज़ुर्गों के चरित्र पर नहीं चल रहे हैं। मगर यहाँ तो इन बुज़ुर्गों पर यह एतिराज हो सकता है कि ख़ुद अपना चरित्र बदल दिया मगर यह एतिराज़ इस लिए ठीक नहीं है कि सचेत लीडर वही होते हैं जो परिस्थतियों के अनुसार फैसले किया करते हैं।

1977 में जब अज़ादारी पर रोक लगी तो अली कांग्रेस के बहुत से लड़के जनाब मौलाना ताहिर जरवली साहिब की सेवा में गये और उनसे कहा कि चलिये तबर्रा के लिए निकलते हैं तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि अब तबर्रा का अवसर नहीं है। इसका मतलब है कि उनको भी एहसास था कि समय बदल गया है इसलिए फैसले भी बदलना पड़ेंगे। 1998 और 1999 के समझौते स्वयं इस सोच के प्रतीक हैं कि समुदाय के कल्याण के लिए किस समय क्या फैसले लेना चाहिए।

मौलाना कल्बे जवाद ने एक बार जुमे के ख़ुतबे (प्रवचन) में एलान किया था कि अगर किसी को समझौते पर हस्ताक्षर नकारना है सीधे डी0एम0 को पत्र लिखे कि हमारे हस्ताक्षर समझौते पर नहीं हैं, मिंबरों से मौखिक नकारने का मतलब केवल क़ौम समुदाय को धोखा देना होगा। सभी ग़लतफहमियों को दूर करने के लिए नूरे हिदायत फाउण्डेशन समझौतों और जनाब मिर्ज़ा मुहम्मद अतहर साहिब क़िब्ला के समर्थन फैक्स को प्रकाशित कर रहा है।

नूरे हिदायत फाउण्डेशन

इमामबाड़ा गुफ़रान मआब, मौलाना कल्बे हुसैन मार्ग, चौक, लखनऊ–3

-122- Azn 1961 2

SHIA SUNNI COMPROMISE

AGREEMENT OF 1969.

GOVERNMENT PRESS NOTE DATED 25TH SEPTEMBER 1969.

The Chief Minister convened a conference of the Leaders of the Shia and Sunni Sects in the town last evening to strike a settlement between the two sects. After prolonged discussions, they came to an agreement about the manner of conduct of religious Milads, Majlises, Alams, Processions, etc. The text of the agreement reached between the two sects is as follows :-

1. The Shias will take out their Alams and processions and hold their usual Milads but they will not recite Tabarra in any public place in any manner. In their Milads, the Shias will praise the Prophet and their Imams etc. in a manner that it does not hurt the religious feelings and susceptibilities of Sunnis.

2. The Sunnies will hold their Milads in the usual manner in which they will describe the life, teachings and achievements of prophet and his companions in the manner they have been doing so hitherto. Praise of prophet and his companions in such Milads will be recited in such a manner that it does not hurt the religious feelings and susceptibilities of Shias.

contd/-...

-125-

3. There will be no innovation in the matter of Alams, Mileds, Majlises and processions. The existing Mileds, Alams, Majlises and processions as recorded in the festivals register will be binding on the parties and there will be no counter Mileds or functions organised by either party and both parties will avoid doing anything calculated to injure the religious feelings and susceptibilities of each other.

In view of the compromise between the two sects, the Government have released the seven persons who had been detained, under the preventive Detention Act, in connection with the dispute between the Shias and Sunnis of the town.

1.	Syed Ashraf Hussain, Advocate	1.	Nazir Ahmed Advocate
2.	Maulana Syed Muzaffar Hussain Tahir Jarwali	2.	Qari Mohd. Siddiqu
3.	Maulana Kalbe Sadiq	3.	Seghir Ahmad Advocate
4.	Maulana Syed Ali Nasir Saeed	4.	Haji Vasi Ahmad Qureshi
5.	Maulana Sadaat Hussain	5.	Haji Amin Salonvi
6.	Maulana Mirza Mohd Alim	6.	Haji Zainulabedeen

Contd/....

1969 का शिया सुन्नी समझौता

सरकारी प्रेस–नोट दिनांक 25 सितम्बर 1969

मुख्यमन्त्री ने गत संध्या को नगर में शिया और सुन्नी नेताओं का एक सम्मेलन दोनों गुटों के बीच एक समझौता कराने के लिए बुलाया। लम्बी चली वार्ताओं के पश्चात, उन्होंने धार्मिक मीलादों, मजलिसों, अलमों, जुलूसों आदि की संचालन संहिता के बारे में एक सन्धि (क़रार) की। दो गुटों के बीच हुई सन्धि का प्रालेख (Text) निम्नवत है:–

1. शिया अपने अलम और जुलूस निकालेंगे और अपने सामान्य मीलादों को आयोजित करेंगे, परन्तु वे किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार से तबर्रा नहीं पढ़ेंगे। अपने मीलादों में शिया नबी (मुहम्मद साहब) और अपने इमामों की प्रशंसा (मदह) इस प्रकार करेंगे जिससे सुन्नियों की धार्मिक भावनाओं और संवेदनाओं को ठेस न लगे।

2. सुन्नी अपने मीलाद सामान्य ढंग से करेंगे जिसमें वे नबी और उनके साथियों के जीवन, शिक्षाओं और उपलब्धियों का वर्णन जिस प्रकार से अब तक करते चले आये हैं, करेंगे। ऐसे मीलादों में नबी और उनके साथियों की मदह (मद्हे सहाबा) ऐसे ढंग से पढ़ी जायेगी कि इससे शियों की धार्मिक भावनाओं और संवेदनाओं को ठेस न लगे।

3. अलमों, मीलादों, मजलिसों और जुलूसों के सम्बन्ध में कोई नयापन (Innovation) नहीं होगा। वर्तमान मीलाद, अलम, मजलिसों और जुलूस जैसा कि त्योहारों की पन्जियिका में अभिलिखित (दर्ज) हैं, दोनों पक्षों पर बाध्य होंगे और किसी पक्ष के द्वारा जवाबी मीलाद या जलसे आयोजित नहीं कराये जायेंगे और दोनों पक्ष कोई ऐसी बात करने से दूर रहेंगे जो एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं और संवेदनाओं को ठेस लगाने से ध्येय से हो।

दोनों गुटों के बीच समझौते को देखते हुए शासन ने उन सात व्यक्तियों को मुक्त कर दिया है जो नगर के शिया सुन्नी विवाद के सम्बन्ध में निवारक निरोध अधिनियम (Preventive Detention Act) के अन्तर्गत नज़रबन्द (Detained) किये गये थे।

1. सैयद अशरफ़ हुसैन, एडवोकेट
2. मौलाना सैयद मुज़फ्फ़र हुसैन ताहिर जरवली
3. मौलाना सैयद कल्बे सादिक़
4. मौलाना सैयद अली नासिर सईद
5. मौलाना सआदत हुसैन
6. मौलाना मिर्ज़ा मुहम्मद आलिम

1. नज़ीर अहमद, एडवोकेट
2. क़ारी मुहम्मद सिद्दीक़
3. सग़ीर अहमद, एडवोकेट
4. हाजी वसी अहमद चरारी
5. हाजी अमीन सलोनवी
6. हाजी ज़ैनुल आबिदीन

(मूल अंग्रेज़ी नोट का अनौपचारिक अनुवाद)

१५१५

124 - Annexure

ACCEPTANCE OF THE RECOMMENDATIONS
OF THE COMMITTEE APPOINTED BY THE
GOVERNMENT ON SHIA SUNNI DISPUTE
IN 1974.

R.K. Kaul,
Commr. and Secy. Home.

D.I. No.20(50)m/1974(b)
Government of Uttar Pradesh
Home (police) Anubhag-11.
Dated, Lucknow Oct. 5, 1974.

Kindly refer to your letter of September 20, 1974 addressed to the Deputy Commissioner, Lucknow proposing the names for being nominated on the Shia-Sunni panel. In the light of your letter, Syed Ali Zaheer was nominated to serve on the three member Shia Sunni panel & Hazrat Maulana Saeed Ahmad Hashmi, member of parliament was also nominated on behalf of Sunnis. The third member nominated with the consent of both parties was Smt. Swarup Kumari Bakshi, M.L.A. The three member Shia Sunni panel was accordingly constituted on Sept. 21, 1974 to work out the formula for solution of the dispute between the Shias and the Sunnis in Lucknow.

The panel heard the cases presented before by the Sunnis and Shia leaders and after considering all the points it has made following recommendations to the State Government.

135-

(a) That 1969 agreement arrived at between the Shias and Sunnis should be adhered to but certain restrictions need to be imposed on the customary religious processions of Shias passing through the PataNala and Pul Gulam Husain streets.

(b) That nothing should be done by the Shia processionists to cause annoyance or hurt the feelings of Sunnis while the processi.. pass through the streets of Pata Nala and Pul Gulam Husain and, further that the numbers, the durations and the conduct of these processions shall be regulated.

(c) That the details and modalities of the restrictions to be imposed on the above processions shall be decided upon by the District authorities of Lucknow after assessing the situation from time to time and their decision will be binding and acceptable to the Sh ias and Sunnis.

3. The above recommendations of the three member Shia-Sunni Panel have be:n accepted by Government and the District authorities at Lucknow are being advised to take action accordingly.

Contd/...

-126-

4. The State Government wishes to convey its gratitude to the three members of the pannel as also to the leaders of the Sunnis and Shias for their strenous efforts and public spritedness displayed in working out the formula so that the object of restoring peace and amity in the city of Lucknow is achieved.

Yours sincerely,

(R. K. KAUL)

1. Maulana Kalbe Abid,
2. Syed Tahir Jarwali.

1974 में शिया–सुन्नी विवाद पर सरकार द्वारा नियुक्त समिति की सिफारिशों की स्वीकृति

पी॰ के॰ कौल,
आयुक्त एवं सचिव गृह

डी॰ आई॰ न॰ 20 (50)एम / 1974 (बी)
उत्तर प्रदेश सरकार
गृह (पुलिस) अनुभाग–11
दिनांक, लखनऊ 5, अक्टूबर 1974

कृप्या शिया सुन्नी पैनल पर नामित होने हेतु नामों को प्रस्ताव करते हुए, उपायुक्त, लखनऊ को सम्बोधित अपने पत्र दिनांक 20 सितम्बर 1974 का सन्दर्भ लें। आपके पत्र के प्रकाश में, तीन सदस्यों के शिया सुन्नी पैनल (समिति) पर कार्यरत होने को सैयद अली ज़हीर को नामित किया गया था। हज़रत मौलाना सैयद अहमद हाशमी, संसद सदस्य को भी सुन्नियों की ओर से नामित किया गया था। दोनों पक्षों की सहमति से नामित तीसरी सदस्या श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी, विधानसभा सदस्या थीं। लखनऊ में शियों और सुन्नियों के बीच विवाद सुलझाने का सूत्र निकालने हेतु तीन सदस्यों का शिया सुन्नी पैनल तदनुसार 21 सितम्बर 1974 को गठित किया गया था।

पैनल ने शिया और सुन्नी नेताओं द्वारा प्रस्तुत पक्षों को सुना और सभी बिन्दुओं पर विचार करने के बाद इसने प्रदेश सरकार से निम्न सिफारिशें की हैं:

(क) कि शियों और सुन्नियों के बीच हुई 1969 क़रार अनुबाध्य होना चाहिए किन्तु पाटानाला और पुल गुलाम हुसैन के मार्गों से गुज़रने वाले शियों के परम्परागत जुलूसों पर कुछ प्रतिबन्धों के लगाने की आवश्यक्ता है।

(ख) कि जब जुलूस पाटानाला और पुल ग़लाम हुसैन से गुज़रे तो शिया जुलूस वालों को सुन्नियों के तपाने का कारण बनने या उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाली कोई

चीज़ नहीं करना चाहिए, और आगे, कि इन जुलूसों की संख्या, अवधि (Duration), तथा संचालन निबन्धित होंगे।

(ग) कि इन जुलूसों पर लगाये जाने वाले प्रतिबन्धों के विवरण तथा प्रणाली बद्धिताएँ (Modalities) ज़िले के प्राधिकारियों द्वारा समय–समय से स्थिति का अवलोकन के बाद निर्णय की जायेंगी और उनका निर्णय शियों और सुन्नियों पर बाध्य और स्वीकारणीय होगा।

3. तीन सदस्यों के पैनल की ऊपर वाली सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गयी हैं और लखनऊ के ज़िला प्राधिकारीगण को तदनुसार कार्यवाई करने की सलाह दी जा रही है।

4. प्रदेश सरकार पैनल के तीन सदस्यों और ऐसे ही सुन्नियों और शियों के नेताओं को, इस सूत्र समाधान में दिखाए गये उनके सपरिश्रम प्रयासों और सार्वजनिक उत्सुकता के लिए जिससे लखनऊ नगर में शान्ति और सद्भाव पुनस्थापित करने का उद्देश प्राप्त हो, उसके लिए अपनी कृतज्ञता पहुँचाना चाहती है।

1. मौलाना कल्बे आबिद — आपका भवदीय
2. सैयद ताहिर जरवली — (पी॰ के॰ कौल)

(मूल अंग्रेज़ी पत्र का अनौपचारिक अनुवाद)

दिनांक 27 अप्रैल, 1998 को शिया–सुन्नी समुदाय के मध्य जुलूस निकाले जाने

के सम्बन्ध में हुई बैठकों में लिये गये समझौते का विवरण

दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों द्वारा शान्तिपूर्ण एवं सद्भावनापूर्ण वातावरण में लगातार कई बैठकें हुई और यह महसूस किया गया कि चूंकि इन पुराने विवादों के सर्वमान्य एवं अन्तिम समाधान हेतु और अधिक समय लग सकता है। शासन द्वारा प्रमुख सचिव (गृह) की अध्यक्षता में गठित समिति के साथ जिला/पुलिस प्रशासन के साथ दोनों पक्षों के साथ सर्वमान्य एवं स्थाई समाधान के लिये वार्ता प्रगति पर है, किन्तु अन्तिम निर्णय लिये जाने में अभी और समय लग सकता है। अतः अस्थाई व्यवस्था के रूप में निम्न बिन्दुओं पर आपस सहमति से एक अंतरिम समझौता लागू किया जाता है:—

1— शिया समुदाय के लोग अपनी अजादारी के जुलूस मुहर्रम की [illegible] पहली मोहर्रम, दसवीं मोहर्रम, बीसवीं सफर (चेहल्लुम) व आठवीं रबी–उल–अव्वल तथा 21 रमजान को जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग, समय एवं शर्तों के अधीन निकाल सकेंगे।

2— बारहवीं रबी–उल–अव्वल (बारावफात) पर सुन्नी समुदाय के लोग जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग, समय तथा शर्तों के अधीन एक जुलूस निकाल सकेंगे। इस जुलूस का नाम सुन्नी समुदाय के लोग स्वयं निश्चित करेंगे, जिस पर किसी को एतराज नहीं होगा।

3— इसके अलावा और जुलूसों/मामलात के बारे में दोनों पक्षों से बातचीत जारी रहेगी और आम सहमति से बाद में निर्णय लिया जायेगा।

4— दोनों समुदायों के उपरोक्त जुलूसों में उभय पक्षों द्वारा कोई भी ऐसी हरकत या कार्यवाही नहीं की जायेगी, जो एक दूसरे के लिये आपत्तिजनक हो, या शान्तिभंग की संभावना बनाती हो, और जो लोक व्यवस्था के विरुद्ध हो।

5— यदि इस समझौते का सही तरीके से पालन नहीं होता है, तो शान्ति व्यवस्था की दृष्टि से अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला प्रशासन/राज्य सरकार में सुरक्षित रहेगा।

6— उपरोक्त अंतरिम समझौता दोनों समुदायों के पारम्परिक एवं विधिक हकों व हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

शिया समुदाय के प्रतिनिधिगण

1. SYED HAMIDUL HASAN

2. [illegible]

3. Syed Kalbe Jawad

4. M M Tahir

5. (JAWED MURTAZA)

सुन्नी समुदाय के प्रतिनिधिगण

Saghir Husain 27-4-98

ABDUL ALEEM FARUQI

Abdul Aleem Farooqi

जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन के प्रतिनिधिगण

(O.P. SINGH) SSP

SADA KANT D.M. Lucknow 27/4/98

शिया–सुन्नी समझौता

लखनऊ में शिया तथा सुन्नी समुदायों के बीच धार्मिक जुलूसों को लेकर विवाद बहुत ही पुराना तथा जटिल था। इस विवाद का उभयपक्षों की सहमति से सर्वमान्य समाधान प्राप्त करने के लिये शिया तथा सुन्नी समुदाय के प्रतिनिधियों के बीच लगातार बैठकें हुई तथा अथक प्रयास किया गया। इसी क्रम में दिनांक 27 अप्रैल 1998 को शिया तथा सुन्नी समुदायों के मध्य आम सहमति से एक अन्तरिम समझौता सम्पन्न हो सका। इस समझौते के अनुसार शिया समुदाय के द्वारा शुरूआती तौर पर वर्ष 1998 तथा 1999 में अजादारी के जुलूस पहली मोहर्रम, 10वीं मोहर्रम, 20वीं सफर (चेहल्लुम) व 8वीं रबी–उल–अव्वल तथा 21–रमजान को जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग, समय व शर्तों के अधीन शान्तिपूर्वक निकाले गये।

इसी प्रकार दिनांक 27 अप्रैल 1998 के उपरोक्त समझौते के अनुसार 12वीं–रबी–उल–अव्वल (बारावफात) पर सुन्नी समुदाय को एक जुलूस निकालने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग, समय तथा शर्तों के अधीन दी गई। समझौते के पैरा–2 में दी गई व्यवस्था के अनुसार सुन्नी समुदाय द्वारा इस जुलूस का नाम "जुलूसे मदहे सहाबा" रखा गया। यह जुलूस दिनांक 8.7.98 को शान्तिपूर्ण वातावरण में निकाला गया।

दिनांक 27 अप्रैल 1998 को हुये अन्तरिम समझौते के पैरा–3 में यह व्यवस्था दी गई थी कि इस समस्या के स्थाई समाधान के लिये प्रथा और जुलूसों/मान्यताओं के बारे में दोनों पक्षों से बातचीत जारी रहेगी और आम सहमति से बाद में निर्णय लिया जायेगा।

दिनांक 27 अप्रैल 1998 के अन्तरिम समझौते की सफलता के पश्चात इस विवाद के सर्वमान्य समाधान के लिये दोनों पक्षों से फिर लगातार बैठकें की गई और यह प्रयास किया गया कि शिया और सुन्नी समुदायों के लोगों में प्रेम और सौहार्द्र का वातावरण बनाया जा सके तथा आपसी विश्वास की भावना स्थापित हो

नहीं जा सका। उपरोक्त बैठकों तथा प्रयासों के पश्चात उभयपक्षों में इस विवाद के समाधान के लिये आपसी सहमति हो गयी है। अतः इस प्रकरण के समाधान हेतु उभयपक्षों द्वारा एक समझौते पर सहमति हुई। इस समझौते के अनुसार:–

1– शिया समुदाय के लोग अजादारी के जुलूस पहली–मोहर्रम, 7वीं मोहर्रम, 8वीं मोहर्रम, 9वीं मोहर्रम, 10वीं मोहर्रम, 20वीं सफर(चेहल्लुम) 8वीं –रबी–उल–अव्वल, 19वीं–रमजान तथा 21वीं–रमजान को जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग, समय एवं शर्तों के अधीन निकालेंगे।

2– सुन्नी समुदाय के लोग 12वीं–रबी–उल–अव्वल(बारावफात) पर जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग, समय एवं शर्तों के अधीन वर्ष 1998 की तरह अपने [illegible] जुलूस मदहे सहाबा निकालेंगे।

3– उपरोक्त जुलूसों के अतिरिक्त उभयपक्षों द्वारा कोई भी अन्य सार्वजनिक जुलूस नहीं निकाले जायेंगे, जिससे दूसरे पक्ष को आपत्ति हो, तथा शान्तिभंग की सम्भावना उत्पन्न होती हो।

4– आवश्यकतानुसार जुलूसों/जलसों के बारे में दोनों पक्षों में बातचीत जारी रहेगी और आपसी सहमति से सर्वसम्मत निर्णय लिया जायेगा।

5– दोनों समुदायों के उपरोक्त जुलूसों में उभयपक्षों द्वारा कोई ऐसा व्यवहार या कार्यवाही नहीं की जायेगी, जो एक दूसरे के लिये आपत्तिजनक हो, या शान्तिभंग की सम्भावना बनती हो, और जो लोक व्यवस्था के विरुद्ध हो।

6– यदि इस समझौते का सही तरीके से पालन नहीं होता है, तो शान्ति व्यवस्था की दृष्टि से निर्णय लेने का अधिकार जिला प्रशासन/ राज्य सरकार में सुरक्षित रहेगा। यह समझौता आगे वर्षों में भी लागू रहेगा, जबतक कि इसके स्थान पर कोई नया समझौता आपसी सहमति से लागू नहीं हो जाता।

इस समझौते का जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन द्वारा कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

DM.

SSP.

-3-

यह समझौता दोनों समुदायों के पारस्परिक एवं विधिक हकों व हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

शिया समुदाय के प्रतिनिधिगण

S. K. Jawad
M. M. TAHIR
S. L. Hasan
M. A. Abbas

सुन्नी समुदाय के प्रतिनिधिगण

(ALEE FAROOQUI)
Saghir Husain
Ghulam Husain
Hasan Ahmed Beg
FAZL-E-ALAM
(RAIS ANSARI)
(AZEEM FAROOQUI)
Musharraf Husain

जिला प्रशासन/ पुलिस प्रशासन के प्रतिनिधिगण

22/4/99
(SADA KANT)
D. M. LUCKNOW.

22.4.99
(A. K. D. Dwivedi)
S. S. P., Lucknow

स्थान–लखनऊ।

दिनांक 22 अप्रैल 1999

मौलाना हमीदुल हसन साहिब के नाम मौलाना मिर्ज़ा अतहर साहिब के ताईदी ख़त का हिन्दी अनुवाद

महिम सेवा में,

हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन (इस्लाम और मुसलमानों के प्रमाण) अमीरुल उलमा मौलाना सैयद हमीदुल हसन साहिब क़िबला दामा ज़िल्लकुमुल आली (सदा आपका ऊँचा साया रहे)।

सलामुन अलैकुम

उम्मीद है स्वभाव स्वास्थ्य–मय होगा।

महोदय का भेजा हुआ फ़ैक्स ''अज़ादारी के बारे में शिया–सुन्नी अस्थायी समझौते'' के बारे में मिला। चूँकि

(1) इस समझौते में शियों को पिछले साल की अपेक्षा चार जुलूस ज़्यादा मिल रहे हैं,

(2) सुन्नीगण (हज़रात) के 'जुलूस' के नाम का सम्बन्ध उन्हीं से है, शिया या सरकार की ओर से नहीं है,

(3) शेष जुलूसों और माँगो के सम्बन्ध से बातचीत का दरवाज़ा खुला है,

(4) समझौता अस्थायी प्रकार का है,

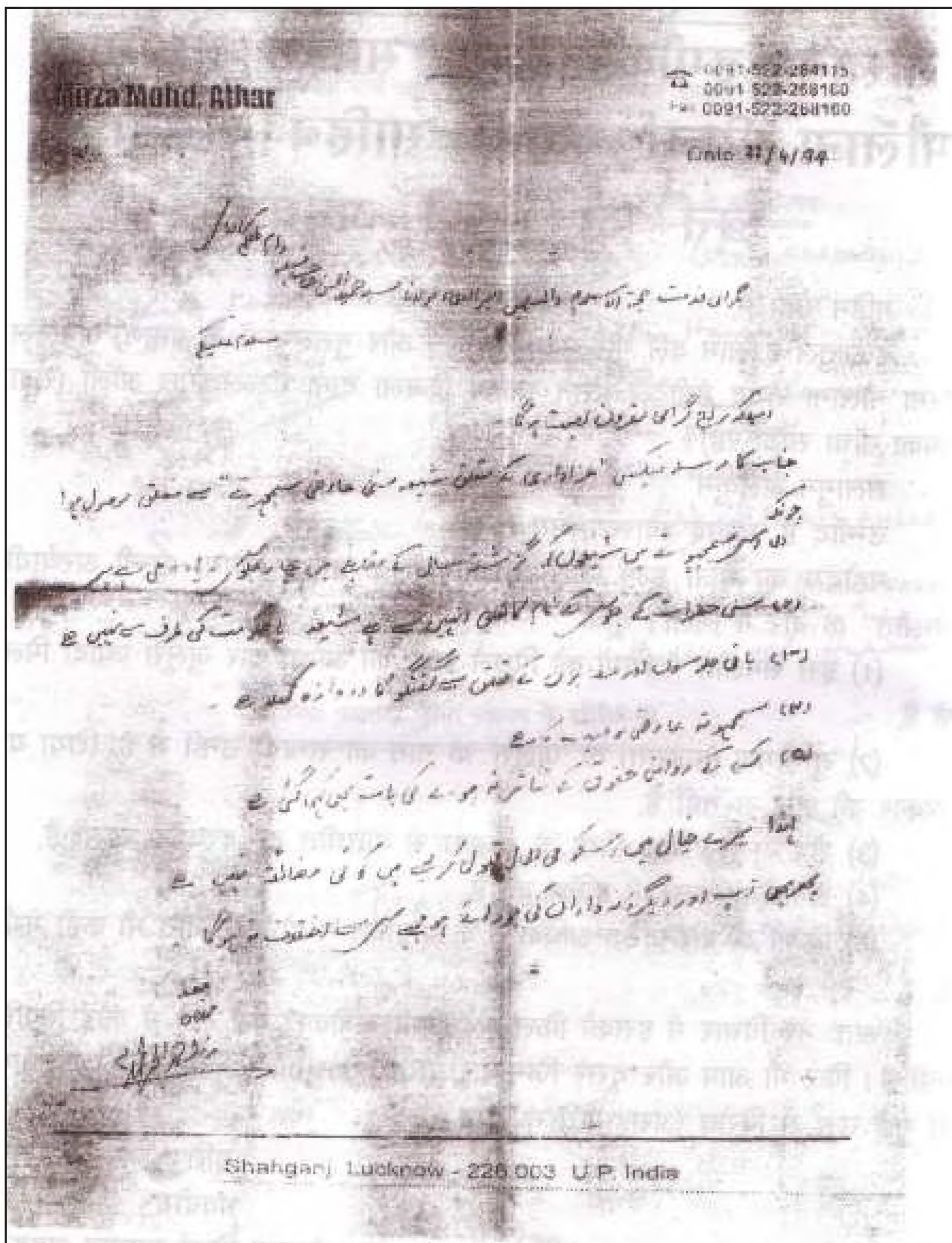
(5) किसी के पारम्परिक अधिकारों के प्रभावित न होने की बात भी कही गयी है,

अतः मेरे विचार में इसको फिलहाल (अभी) स्वीकार कर लेने में कोई विपत्ति नहीं है। फिर भी आप और दूसरे ज़िम्मेदारों (Responsible Persons) की जो राय हो मुझे उस से विरोध (असहमति) न होगा।

इति

भवदीय

(ह0 मौलाना मिर्ज़ा मुहम्मद अतहर)



Mirza Mohd. Athar

0091-522-268115
0091-522-268160
Fax 0091-522-268160

Date: 31/4/94

Shahganj Lucknow - 226 003 U.P. India

इदारा

मुख्य समाचार

वक्फ बचाओ तहरीक नहीं रुकेगी:

क़ाएदे मिल्लत मौलाना सै0 कल्बे जवाद

लखनऊ। तारीख़ी आसफी मस्जिद में मोमिनीन के दरमियान जुमे की नमाज़ के खुत्बे में इमामे जुमा मौलाना सै0 कल्बे जवाद नक़वी साहिब ने इस बात का खुलकर एलान किया कि चाहे उन्हें जेल में डाल दिया जाए या उनकी तहरीक जो इस्लामी उसूलों और शीओं की भलाई के लिए चल रही है उसे रोकने के लिए कुछ भी किया जाए वह रुकने वाली नहीं हैं। उन्होंने अपनी वक़्फ बचाओ तहरीक पर रौशनी डालते हुए कहा कि अगर कुछ फसाद फैलाने वाले लोग जिनमें कुछ शीआ उलमा भी शामिल हैं, उनके इशारे पर उत्तर प्रदेश की सरकार उनको जेल में डाल दे और यह सोचे कि इसके बाद बेसहारा और ग़रीब शियों को उजाड़ दिया जाए तो वह ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे।

उन्होंने पूरे तौर से उ0 प्र0 सरकार से कहा कि अगर वह चाहे तो वक़्फ सज्जादिया या किसी भी वक़्फ की जाँच करा ले, वह यह भी देख ले कि वहाँ पर कितने लोग रह रहे हैं और कितने मकान बन रहे हैं। अगर यह वक़्फ शीओं के हाथ से चला गया तो यक़ीनन इससे बेसहारा लोगों का ही नुक़सान होगा। उन्होंने मुम्बई की एक मज्लिस का ज़िक्र किया जिसमें लखनऊ से गए एक नामवर ज़ाकिर के जुम्ले पर कि ''हम कब तक ख़ुम्स देते रहें?'' पर अफसोस ज़ाहिर किया। उन्होंने शीआ पर्सनल लॉ बोर्ड पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि यह बोर्ड अमरीका, इसराईल, बी0जे0पी0 और आर0एस0एस0 की मुस्लिम मुख़ालिफ साज़िशों के नतीजे में पैदा हुआ है, यह कुछ तामीरी काम तो कर नहीं रहा है मगर तामीरी कामों में रुकावट ज़रूर डाल रहा है, उन्होंने अपने इरादे को दोबारा दुहराया कि वह अपनी क़ौम को किसी भी हाल में गुमराह नहीं होने देंगे और हर सूरत में हक़ की लड़ाई जारी रखेंगे।

मासिक इस्लाह का बेअ्सते नबी स0 व इत्तेहादे मिल्ली नम्बर

मुदीर: मौलाना सै0 मुहम्मद जाबिर जौरासी साहब

लखनऊ। मासिक इस्लाह लखनऊ का रजब 1428हि0 मुताबिक़ जुलाई 2007ई0 का यह खुसूसी शुमारा ''बेअ्सते नबी स0 व इत्तेहादे मिल्ली नम्बर'' के उनवान से 120 सफहात पर मुशतमिल अपनी पूरी आबो ताब के साथ मिस्ले बद्रे कामिल तुलूउ हुआ। जिसके 94 सफहात पर बेअ्सते नबी0 व इत्तेहादे मिल्ली से मुताल्लिक़ नज़्म व नस्र का अच्छा ज़ख़ीरा मौजूद है ख़ास तौर पर वलीए अम्रिल मुस्लिमीन आयतुल्ला सै0 अली ख़ामेना–ई मद्दाज़िल्लहू और आयतुल्लाह रूहुल्लाह मूसवी अलखुमैनी नव्वरुल्लाहु मरक़दहू के मज़ामीन तो नम्बर में मरकज़ी हैसियत रखते हैं। यक़ीनन ऐसे मज़ामीन ख़तीबे क़ादिर मौ0 सै0 मुहम्मद जाबिर जौरासी साहिब जैसे दूरअन्देश व हक़ जू मुदीर की नज़रे इन्तेख़ाब का समरा हैं। लेकिन क्या ही बेहतर हो कि अगर हिन्दुस्तान के अज़ीम साहिबाने क़लम मसलन अल्लामा हिन्दी सै0 अहमद नक़वी साहिब, उमदतुल उलमा सै0 कल्बे हुसैन साहिब, सैय्दुल उलमा सै0 अली नक़ी नक़वी साहिब, अल्लामा अख़्तर अली तिलहरी साहब, अल्लामा सै0 इब्ने हसन जारचोई साहिब, अल्लामा मुज्तबा हसन कामनपुरी, नख़बतुल उलमा सै0 काज़िम नक़वी, अल्लामा अली मुहम्मद नक़वी और अल्लामा अक़ीलुल ग़रवी के मज़ामीने आलिया से भी इस्लाह के सफहात को मुनव्वर फरमाऐं तो यक़ीनन रिसाले की इफ़ादियत में चार चाँद लग जायें और ऐसे आली नज़र लोगों के मज़ामीन जो क़ौमो मिल्लत की फलाह व बहबूद के ज़ामिन हैं शाया होकर महफ़ूज़ भी हो जाएँ।

पढ़ने वालों से इल्तेमास है कि इस्लाह का यह खुसूसी शुमारा जल्द से जल्द दफ़्तर इस्लाह मस्जिद दीवान नासिर अली, मुर्तज़ा हुसैन रोड़, यह्यागंज से हासिल कर लें ताकि ख़त्म होने के बाद मायूसी न हो।

अरब के मुफ़सिद आलिमों के घिनावने मन्सूबों की पुरज़ोर मज़म्मत

अरब के कुछ मुफ़सिद उलमा ने जैसे अब्दुर्ररहमान इदराक, शैख़ मुहम्मद अलअरबी, डाक्टर नस्रुलहम्र बिन जिबरैन, डाक्टर सफ़रुल हवाली (सऊदी अरब) और हामिदुल उला (कुवैत) ने कुछ रोज़ क़ब्ल यह ग़ैर आक़िलाना व तअस्सुबाना फतवा दिया है कि रौज़–ए–हज़रत अली अ0 (नजफ), रौज़–ए–इमाम हुसैन अ0 कर्बला (इराक़), रौज़–ए–सैय्यिदा ज़ैनब स0 (शाम) और मज़ारे सै0 अली बदवी (मिस्र) (मआज़ल्लाह) शिर्क के मराकिज़ हैं इसलिए उन्हें गिरा दिया जाए। सऊदी अरब में इस जाहिलाना फतवे से बरहम होकर ईरानी सफीर मुहम्मद हसनी ने सऊदी हुकूमत से राबेता किया और अपने ग़मो गुस्से का इज़हार किया। ईरान में आयतुल्लाहिल उज़मा नासिर मकारिम शीराज़ी, आयतुल्लाहिल उज़मा लुत्फुल्लाह साफी, आयतुल्लाह नूरी हमदानी और दूसरे उलमा और हिन्दुस्तान में उलमा व खुतबा खुसूसन क़ायदे मिल्लत ने इन नाम नेहाद मुफ़सिद आलिमों के फतवे की पुरज़ोर मज़म्मत की है और अपने रंजो ग़म का इज़हार किया है।

हिन्दुस्तान में भी तारीख़ी आसफी मस्जिद लखनऊ में मौलाना डाक्टर सै0 कल्बे सादिक़ साहिब ने जुमे की नमाज़ के खुत्बे के दौरान इस फसाद फैलाने वाली नाकाम कोशिश की पुरज़ोर मज़म्मत की। हक़ीक़त में इस तरह के फतवे देने वाले नाम नेहाद मुफ्ती व आलिम इस्लाम दुश्मन ताक़तों के गुर्गे हैं जो मौक़े मौक़े पर ऐसे बयान देते रहते हैं जो मुसलमानों के बीच तफरक़ाबाज़ी और फसाद का सबब होते हैं इसलिए तमाम मुसलमानों से अपील है कि इस तरह के नाम नेहाद मोलवियों, मुफ़्तियों, ख़तीबों वग़ैरा की सज़िशों से आगाह रहें ताकि मिल्लत टुकड़े–टुकड़े होने से महफूज़ रहे।

आयतुल्लाह अली अकबर फैज़ मिश्कीनी रह0 की रिहलत दुनियाए शीईयत सोगवार

ईरान। 29 जुलाई 2007ई0 को आयतुल्लाह अली अकबर फैज़ मिश्कीनी ने तेहरान के अस्पताल में इस दारे फानी से दारे बक़ा की तरफ रिहलत फ़रमाई आपकी तदफ़ीन लाखों सोगवारों की मौजूदगी में मासूम–ए–क़ुम के हरम में की गई।

आयतुल्लाह मिश्कीनी ताबा सराह आयतुल्लाहिल उज़मा ख़ुमैनी रहमतुल्लाहि अलैह के शार्गिदे रशीद थे। आप हौज़–ए–इल्मिया क़ुम में दर्से तफ़सीर की तदरीस में मशग़ूल थे। तलबा की बड़ी तादाद आपके दर्स में शरीक होती थी आप मशहूर व मारूफ मज़हबी व इशाअती इदारे ''अल–हादी'' के बानी भी थे आपने कई बार क़ैदो बन्द की तकलीफें बर्दाश्त करने के बाद भी मुख़तलिफ मौज़ूआत पर तक़रीबन 30 किताबें तसनीफ़ फरमाईं। जब यह जाँसोज़ ख़बर नूरे हिदायत फाउण्डेशन को मौसूल हुई अरकाने इदारा सोगवार हो गए और एक ताज़ियती जल्सा दफ़्तर नूरे हिदायत इमामबाड़ा ग़ुफ़रानमॉब में हुआ जिसमें आयतुल्लाह मिश्कीनी की हयात और ख़िदमात का मुख़तलिफ ज़ावियों से तज़केरा हुआ और उनकी रिहलत पर ग़हरे रंजो गम का इज़हार किया गया इसके बाद मरहूम की रूह के लिए फातेहा ख़्वानी की गई। इदारा इस आलिमे जलील की रिहलत पर दुनिया–ए–शीईयत ख़ास कर इमामे ज़माना अज0 की ख़िदमत में ताज़ियत पेश करता है और मोमिनीन से फातिहा ख़्वानी की दरख़्वास्त करता है।